पंचम माला, खंड 43, अंक 25, शनिवार, 24 अगस्त, 1974/2 भाद्र, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol, XLIII, No. 25, Saturday, August 24, 1974/Bhadra 2, 1896(Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 43 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. XLIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

बिषय सूची/Contents

अंक 25, शनिवार, 24 अगस्त, 1974, 2 भाद्र, 1896 /(शक)

No. 25, Saturday, August 24, 1974/Bhadra 2, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	1
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात) 1974-75 विवरण-प्रस्तुत किया गया।	Supplementary Demands for Grants (Gujarat) Statement—Presented 1974-75	1
देश में बाढ़ तथा सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा	Discussion Re. Flood and Drought situation in the country.	2
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami .	2
श्री नूरुल हूडा	Shri Noorul Huda	3
श्री धरणीधर दास	Shri Dharnidhar Das	4
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	5
डा० के०एल० राव	Dr. K.L. Rao	6
श्री एम०एस० शिवस्वामी	Shri M.S. Sivaswamy	9
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	10
श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी	Shri P. Narasimha Reddy	10
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri G.P. Yadav	11
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	12
श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandev	1 .
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P.M. Mehta	13
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	14
श्री० डी०एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary	14
श्रीमती माया राय	Shrimati Maya Ray	15
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	15
श्री बी०वी० नायक	Shri B.V. Naik	16
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	16
श्री एच०एम० पटेल	Shri H.M. Patel	17

विषय	Subject	Page
श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman . .	18
श्री मोइनुल हक चौधरी	Shri Moinul Haque Choudhury .	18
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	20
श्री समर गुह	Shri Samar Guha .	22
श्री बी०के० दासचौधरी	Shri B.K. Daschowdhury	23
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	24
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	24
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	25
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	26
श्री गेंदा सिंह	Shri Genda Singh	28
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	28
डा० महिपतराय मेहता	Dr. Mahipatray Mehta	28
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar	29
श्री एम०के० कृष्णन्	Shri M.K. Krishnan	30
प्रो० एस०एल० सक्सेना	Prof. S.L. Saksena	31
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	31
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	32
श्री डी०के० पंडा	Shri D.K. Panda	32
श्री एम०एम० जोजुफ	Shri M.M. Joseph . .	33
पूर्व रेलवे के यदुग्राम ब्लाक हट और गुरपा स्टेशन के बीच हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Railway Accident between Yadugram Block Hut and Gurpa Station of Eastern Railway .	
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	27

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, 24 अगस्त, 1974/2 भाद्र, 1896 (शक)
Saturday, August 24,1974/*Bhadra* 2, 1896 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at Three minutes past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

सभा पटल पर रखे गये पत्र
Papers laid on the Table

रंग सामग्री उद्योग की समीक्षा सम्बन्धी टैरिफ आयोग का (1974) प्रतिवेदन और एक विवरण

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उप धारा (2) के अन्तर्गत रंग सामग्री उद्योग की समीक्षा सम्बन्धी टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1974) की एक प्रति।

(2) (एक) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर साथ-साथ सरकारी संकल्प सभा पटल पर न रखने तथा (दो) प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8270/74]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात) 1974-75
Supplementry Demans for Garants (Gujrat) 174-75

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं गुजरात राज्य के सम्बन्ध में वर्ष 1974-75 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा आरम्भ करेंगे । श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी ।

श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान (किशनगंज) श्रीमन, : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं। मैंने 12 अगस्त को लोकसभा सचिवालय को अपने हस्ताक्षरों से दो मेरे अन्य साथी श्री आर० पी० यादव और श्री जगन्नाथ मिश्र के द्वारा समर्थित नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के लिए एक नोटिस दिया था। उसका क्या हुआ? कार्य सूची में हम तीनों में से किसी का भी नाम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप का नोटिस समय देने के बारे में था और समय दे दिया गया है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : On a point of order sir the Planning Commission has now decided not to give any assistance for flood or draught relief works. The Hon. Minister should Clarify the policy in this regard.

Shri G. P. Yadav (Katihar)) : A point of order, Sir. The Planning Minister should also be present here while the House is discussing draught situation in Bihar and other states.

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

देश में बाढ़ तथा सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा

Discussion Re : Flood and Draught Situation in the Country

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : देश में बाढ़ समस्या प्रतिवर्ष पैदा हो जाती है और इस वर्ष भी देश को इसका सामना करना पड़ रहा है। समस्त देश में, विशेष कर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जहां लाखों लोगों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अभूतपूर्व बाढ़ समस्या उत्पन्न हो गई है।

बिहार में सरकारी जानकारी के अनुसार 15,000 हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है और गैर सरकारी अनुमान से 80 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और फसल को हुई हानि का न्यूनतम अनुमान 5 लाख रुपये का है। केरल में बाढ़ के कारण 32 व्यक्ति मरे हैं और 5 या 6 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। महाराष्ट्र में बाढ़ से 49 व्यक्तियों की जानें गई हैं। मनीपुर में 3 व्यक्ति मरे तथा 106 करोड़ रुपये की पूंजी की क्षति हुई। उड़ीसा में बाढ़ के कारण 52 लाख रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई है। पश्चिम बंगाल के दो या तीन जिलों में 10 लाख लोगों को बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। इन आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि समस्या कितनी गंभीर है।

आसाम में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र 10,000 वर्ग मील का है। लगभग 6,000 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और 40 लाख लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ों के साथ साथ भू-कटाव से भी विनाश हुआ है। भू-कटाव से 50 वर्गमील क्षेत्र समाप्त हो गया है। लगभग 6,000 परिवारों पर इसका कुप्रभाव पड़ा है। फसल को लगभग 40 करोड़ रुपये की हानि हुई है। कोई भी राज्य सीमित संसाधनों से किस तरह इतना भार वहन कर सकता है।

अभूतपूर्व बाढ़ों के विनाश से लोग अनाज की खोज में गांवों से शहर आ रहे हैं। यहां तक कि औरतों में अवैध व्यापार चलने लगा है क्योंकि उनके पास परिवार के सदस्यों को खिलाने पिलाने के लिए कुछ भी नहीं। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस समस्या को प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए उपाय निकालने चाहिएं

हम जानते हैं कि सरकार ने अपने सीमित ढंग से बाढ़ों पर नियंत्रण पाने के प्रयास किए हैं। यदि इन प्रयासों के उपरान्त भी बाढ़ों पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका तो इसका कारण यह है कि नदियों के तल पर गाद अधिक मात्रा में एकत्र हो गई है जिसके कारण वर्षा में पानी नदियों से बाहर निकलने लगता है। जनसंख्या के दबाव के कारण भी अधिकाधिक लोग निचले क्षेत्र में बस रहे हैं जैसा कि सामान्यतया नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त भू-संरक्षण के सम्बन्ध में अपर्याप्त कदम उठाये गये हैं और पेड़ अन्धाधुन्ध गिर रहे हैं। यह उचित समय है कि सरकार इस ओर ध्यान दे ।

ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के प्रश्न पर हमारा ध्यान काफी समय से केन्द्रित है। जब तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया जाता तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती । मंत्री महोदय को अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि से सहायता प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिएं ताकि ब्रह्मपुत्र नदी पर निमंत्रण किया जा सके। जहां तक बंगला देश और भारत के बीच संयुक्त प्रयास का सम्बन्ध है हमारे पास ऐसा करने का अच्छा अवसर है । इस नदी को विपत्ति के बजाये देश की अर्थव्यवस्था में सहायक बनाया जा सकता है।

हम मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहते हैं कि ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण विधेयक के बारे में क्या किया गया है। भूतपूर्व मंत्री डा० के० एल० राव ने सभा को आश्वासन दिया था कि इस विधेयक को लाया जायेगा । वर्तमान मंत्री महोदय ने भी ऐसा आश्वासन दिया है। हम इस बारे में वर्तमान स्थिति जानना चाहते हैं।

आसाम में दीर्घावधि उपाय करने के साथ आजकल वहां शीघ्रता से उपाय करने की आवश्यकता है। हमें बड़े पैमाने पर सहायता की आवश्यकता है। इस समय राहत का अनुमान 1 करोड़ रुपये का है । देहातों में महिलाओं के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है। वे आजकल चिथड़े पहिने पाई जाती हैं। चिकित्सा उद्देश्य के लिए भी सहायता की आवश्यकता है।

जब देश में ऐसे दैवी प्रकोप का आक्रमण हो तो हमारे लिए यह कहना उचित नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं हैं। जैसे विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए संसाधन जुटाये जाते हैं वैसे ही अब संसाधन जुटाना इस सरकार का कर्तव्य है। इस समस्या के समाधान के लिए उपाय निकाला जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं ।

श्री नूरुल हूडा (कछार) : देश में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति रहने लगी है । इस वर्ष स्थिति बहुत ही गंभीर है। पश्चिम बंगाल, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, पश्चिम दीनाजपुर मालदा और मदनापुर जिलों में प्रभाव पड़ा है। 24 परगना के भागों में तूफान आये हैं और वहां पर करोड़ों रुपये की क्षति हुई है।

उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ रुपये की फसलें और सम्पत्ति नष्ट हो गई है। बिहार में 56 करोड़ रुपए की सम्पत्ति को इस प्रकार की ही क्षति हुई है। आसाम में 29,000 किलोमीटर भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है और बड़े पैमाने पर क्षति हुई है।

ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं कि राहत कार्य बहुत कम किये गये हैं और निहित स्वार्थों ने राज्यों में दुरुपयोग भी किया है। हमने सभा का ध्यान कठिन स्थिति की ओर दिलाया है और

केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य सरकारों को तुरन्त खाद्यान्न, दवाइयां और अन्य सहायता दी जाये। परन्तु खेद की बात है कि सहायता का दुरुपयोग किया गया है।

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण योजना के बारे में सरकार ने भी क्या कार्यवाही की है? सरकार को इन परियोजनाओं के बारे में गंभीरता से विचार करके ठोस कदम उठाने चाहिएं ताकि परियोजनायें निर्धारित समय में पूरी हो जायें। सरकार इस दिशा में असफल रही है।

सिंचाई मंत्री, प्रधान मंत्री तथा अन्य सम्बद्ध मंत्रियों को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि उत्तर-पूर्व बिहार तथा उत्तर प्रदेश में जो प्रतिवर्ष बाढ़ आती है वे न आयें। इनसे करोड़ों रुपये की सम्पत्ति की क्षति होती है।

अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह देश में बाढ़ और सुखे से प्रभावित हुए व्यक्तियों के लिए तुरन्त कोई सहायता देगी ? आशा है सरकार सभा में उन विभिन्न उपायों का उल्लेख करेगी जो भविष्य में बाढ़ की समस्या न उत्पन्न होने देने के लिए किए जाएंगे।

श्री घरनीधर दास (मंगलदायी) : महोदय ! सबसे पहले मैं विभिन्न राज्यों में बाढ़ के कारण मारे गए 109 व्यक्तियों के लिए शोक व्यक्त करना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार मुद्रास्फीति को समाप्त करने का संकल्प किया गया है उसी प्रकार हमें बाढ़ नियंत्रण के लिए संकल्प करना चाहिए। आज जबकि देश गंभीर आर्थिक संकटों से गुजर रहा है सरकारी अनुमानों के अनुसार बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष हमारी 125 करोड़ रुपयों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। अतः यह एक राष्ट्रीय समस्या है।

आश्चर्य की बात है कि जो नदियों हमारी समृद्धि और कल्याण का कारण थीं वही आज हमारे दुःख और दुर्भाग्य का कारण बन गयी हैं तथा हम अभी तक उन पर नियंत्रण नहीं कर पाये। मैंने कई क्षेत्रों का दौरा किया है तथा मेरे विचार से तीन प्रकार की समस्याएं ऐसी हैं जिनकी ओर तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। ये समस्याए नदियों में बाढ़ उनसे भूमि-कटाव और नदियों द्वारा मार्ग-परिवर्तन की समस्याएं हैं। पगलादिया नदी ने 28 जून को यकायक अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया तथा उससे नमडोंगा बलिलास नामक गांव का कोई अवशेष नहीं बचा। वहां के लोगों ने पेड़ों पर चढ़कर या किसी अन्य प्रकार जैसे-तैसे अपने प्राण बचाये।

महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति से बहुत पहले ग्रामीण जनता के बारे में कहा था कि वह वास्तव में मृत्यु जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी ग्रामीण जनता की वही स्थिति है। उनकी स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है। राष्ट्र की 50 प्रतिशत आय का लाभ नगरों में रहने वाले 10 प्रतिशत धनी व्यक्तियों को होता है और शेष 90 प्रतिशत जनता निर्धन हो गई है।

रूस और चीन जैसे देशों ने आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों की ही थी तथा कृषि को सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना था। हमें भी देश की अर्थ व्यवस्था के बारे में गंभीरता के विचार करना होगा जिसके कारण देश में काले धन की राशि 10,000 करोड़ से 14,000 करोड़ रुपया हो गई है तथा जिससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता रहा है।

यह भी आश्चर्य की बात है कि देश में कहीं तो बाढ़ की स्थिति है परन्तु कहीं सूखा की स्थिति है। इसका मूल कारण यह है कि देश में राष्ट्रीय संसाधनों का संतुलित वितरण नहीं है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है उनको उन क्षेत्रों से पानी उपलब्ध नहीं कराया गया जिनमें बाढ़ की स्थिति है। आसाम सरकार इस बात पर बल देती रही है कि केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र बाढ़-नियंत्रण आयोग को अपने अधिकार में ले। इस बारे में आसाम के ससद सदस्यों ने भी अनेक बार सरकार से अनुरोध किया है। मुझे प्रसन्नता है कि सिंचाई और विद्युत मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि इस सत्र में इस के बारे में विधेयक लाया जाएगा। आसाम सरकार ने अनुमान लगाया है कि वाढ़ के कारण लगभग 50 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय आसाम राज्य को 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराने का प्रयत्न करें क्योंकि समाजवादी सिद्धांत के अनुसार आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों की केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता की जानी चाहिए। आसाम राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है तथा उसने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है। मंत्री महोदय के अनुसार ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग पर 800 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। मेरे विचार से यह धनराशि बहुत अधिक नहीं है तथा इस परियोजना से समस्या का स्थायी समाधान मिल जाएगा ।

Shri Bhogendra Jha (Jai Nagar) : Sir, Certain areas in our country are either flood prone areas or drought-prone areas. Floods and drought are an annual feature in this country. Although the incidence of drought this year has been comparatively less the situation in regard to floods is very grave. Almost all the riveis originating from the Himalayas, namely. Brahmaputra, Kosi, Kamla, Gandak, Ghagra and Rapti have done in calculable damage in the northern region. This problem can not be solved so long as government are not prepared to have some new thinking in this regard. Mere flood control measures will not be of any avail. It should be realized that the water of the rivers orginating from Himalayas runs with force and speed and ultimately merges into the sea during the rains. Thus this water is not utilized for irrigation purposes. I Would like to suggest that the flood control and irrigation programmes should be undertaken side by side. It has been drawned that there is no damage to the embankments in Bihar but the water has overflown there embankments resulting in submission of vast areas. Our engineers and officers are to be blamed for this situation. According to an agreement between India and Nepal, embankments on Kamla river were to be constructed upto Sisapani but under the secret instructiont, and if it is challenged by the hon Minister, I am prepared to present before the House the embankments have been constructed upto Jai nagar only as a result of which large areas are submerged on both the sides of the river.

The floods in Bihar have been unprecedented. Even since 9th August all railway lines and roads in sitamarhi, Madhubani and Darbhanga districts are under 4 to 6 feet deep water and there areas have been entirely cut off from the rest of the country.

I would like to suggest that government should undertake multi-purpose projects for flood control, irrigation and power production. I am not opposed to the proposal of taking over the Brahmaputra Flood Control Commission by the centre but I don't think the problem can be solved with this measure alone.

In Bihar, Kosi and Kamla are known as the rivers of destruction. They have been constantly changing there course with the result that this year they have destroyed crops worth Rs. 71 Crores and about 1.25 lakh houses. Apart from this loss more than 125 persons have lost their lives and innumerable heads of cattle have been destroyed. In these circumstances I would like to suggest that Government should immediately provide paddy seedling to the people of North Bihar from Uttar Pradesh, Hariyana and Punjab. If it is done they will be able to grow some rice for the next year as the soil there is very fertile.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

It will be the best kind of relief for the people of Bihar because it will provide jobs for the poor and people will be able to utilise the land.

So far as the financial assistance is concerned I am not in favour of this provision as I realise that it will not percolate to deserving persons. I am afraid that half of the amount, If provided for relief purposes, will be appropriated by unscrupulous persons.

In view of the fact that the people of north Bihar have realized that the agitation led by Shri Jaya Prakash Narayan has nothing to do with the problems of the common people then, Government should not feel any difficulty in sending foodgrains for the poor people. The Government of Bihar have not demanded a large quantity of foodgrains. I suggest that central Government should immediately provide the quantity of foodgrains demanded by the State Government. I also demand that Central Government should take concrete steps to unearth the hoarded foodgrains to make them available to the starving people in various parts of the country. There is large scale corruption in the administration of Bihar. I am sorry to observe that no M. L. A. or M. P. has criticised the working of the Government of Bihar. (*Interruption*)

So far as the relief is concerned I would like to suggest that popular committee should be set up by Government to keep an account of the items, like foodgrains, cloth etc. supplied to the affected person in the form of relief measures so that proper utilisation of relief fund is ensured.

I would also like to suggest that the matter of having control over the rivers like Kosi, Gandak, Kamla and Rapti should not be delayed any more. The earlier multi-purpose schemes for these rivers are taken up the better it will be for our country. These projects will also be useful to Nepal. Therefore, it will be better if their co-operation is also solicited in this regard.

उपाध्यक्ष महोदय: कांग्रेस पार्टी की ओर से बोलने वालों की सूची में 54 नाम हैं तथा इसे चार घंटे और 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे पांच मिनट से अधिक समय न लें। डा० के० एल० राव 10 मिनट का समय ले सकते हैं क्योंकि वह इस मंत्रालय के मंत्री रहे हैं, तथा हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए –

डा० के० एल० राव (विजयवाडा) : केन्द्र ने 1954 से बाढ़ नियंत्रण कार्य में रुचि ली है तथा यह कदम पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उठाया था। गत बीस वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने डिब्रूगढ़, हीराकुण्ड आदि कई परियोजनाओं का निर्माण किया है। इसी प्रकार यदि केन्द्र ने बाढ़-नियंत्रण के लिए कदम न उठाये होते तो कोसी और कमला नदियों ने बहुत अधिक विनाश किया होता। फिर भी अभी अनेक समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका है। इस वर्ष वर्षा सामान्य थी किन्तु फिर भी बाढ़ ने कई राज्यों में बहुत विनाश किया है। मेरे विचार से बाढ़ समस्या को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

पहले प्रकार की नदयां वे हैं जो कर्क रेखा से नीचे भोपाल के निकट से गुजरती हैं। इस क्षेत्र में बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए नर्मदा नदी पर 'बार्गी' में एक बांध बनाया जाना चाहिए जिससे होशंगाबाद और बड़ोच को बचाया जा सके। यद्यपि नर्मदा विवाद पर एक न्यायाधिकरण विचार कर रहा है तथापि इस बांध के लिए उसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

उड़ीसा में ब्राह्मनी, बयतरनी, बुरबलंग, और सुवर्ण रेखा नामक प्रमुख नदियां प्रतिवर्ष बाढ की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। यदि ब्रह्मानी पर रेंगाली बांध, बयतरनी पर भीमकुंड बांध और सुवर्ण रेखा पर चपडिल बांध बनाये जाएं तो उड़ीसा को बाढ़ से बचाया जा सकता है। बुरबालंग पर बांध के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है तथा इस नदी के बाढ़ के पानी को निकालने के लिए अन्य उपाय करने होंगे। मेरा यह भी सुझाव है कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता करनी चाहिए जिससे इन परियोजनाओं को आरम्भ किया जा सके।

दूसरी श्रेणी की नदियां गंगा से सम्बन्धित नदियां हैं। ये नदियां पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर बिहार में बहती हैं। इस क्षेत्र की भूमि विश्व में सबसे अधिक उपजाऊ हैं किन्तु वहां की जनता बहुत गरीब है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रति वर्ष बाढ़ आती है तथा फसलों को नष्ट कर जाती है।

शारदा, घाघरा, राप्ती, रोहिणी तथा गंडक ये पांचों नदियां भारत की अन्य नदियों से भिन्न प्रकार की नदियां है तथा इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय नदियां कहना अधिक उपयुक्त है। उनकी गति बहुत तीव्र होती है तथा उनका आकार भी बहुत बड़ा है। जहां तक गंगा नदी का प्रश्न है इलाहाबाद तक यह नदी शांत रहती है। कभी-कभी इसमें पानी अवश्य बढ़ जाता है तथा इस समस्या के लिए राज्य सरकार तटबंधों की व्यवस्था कर सकती है। किन्तु बलिया, मंसी और धूलिया नामक तीन स्थानों पर भूमि कटाव की स्थिति बहुत गंभीर है तथा इस समस्या को दूर करने के लिए निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना बहुत आवश्यक है। राप्ती नदी और भी भयानक स्थिति उत्पन्न कर देती है तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश अर्थात गोरखपुर क्षेत्र के उपजाऊ क्षेत्र को जलमग्न कर देती है। इस नदी पर बांध बनाना आवश्यक है। उसके लिए हमें नेपाल सरकार के साथ विचार-विमर्श करके कोई निर्णय अवश्य कर लेना चाहिए। इससे दोनों ही देशों को लाभ होगा।

इन नदियों की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें बंगला देश तथा नेपाल का सहयोग लेना चाहिए जिससे बाढ़ की समस्या को हल किया जा सके। कोलम्बिया नदी के बारे में अमरीका और कनाडा ने मिलकर उपाय किये हैं। सरकार को इस महत्वपूर्ण पहलू पर भी विचार करना चाहिए। राप्ती नदी पर बांध बनाये जाने की पूरी संभावनाएं हैं किन्तु इसके लिए नेपाल की सहमति अनिवार्य है।

गंडक नदी से बहुत क्षति हो रही है। प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। पुल के निर्माण से ही गंडक पर नियंत्रण किया जा सकता है। रेलवे ने परियोजना की मंजूरी दे दी है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह सर्वोत्तम स्थान का पता लगाने के लिए मंत्रालय के विशेषज्ञों को शामिल करें।

उत्तर बिहार में सात अंतर्राष्ट्रीय नदियों-गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला, अडवारा सिस्टम, कोसी और महानन्दा की बाढ़ों का प्रभाव पड़ता है। जब तक हम नेपाल का सहयोग नहीं लेते तब तक बाढ़-नियंत्रण नहीं कर सकते।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान कोसी की ओर दिलाना चाहता हूं। यह दुःखदायी नदी कहलाती है। कोसी के तटबंधों के बीच तीन लाख व्यक्ति रहते हैं। उन लोगों के पुनर्वास की समस्या अभी भी बनी हुई है।

ब्रह्मपुत्र और उसकी शाखाएं सबसे अधिक कठिन है। यह विश्व में सबसे कठिन समस्या है क्योंकि यह अत्यधिक जटिल क्षेत्र है। तथापि हमें इस बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। एक बार हम इस नदी की सहायक नदियों पर बांध बनाना चाहते थे परन्तु यह कठिन समस्या थी। उदाहरणार्थ, सुबनसिरी प्रथम श्रेणी का 'ग्रेनाइट फाउंडेशन' क्षेत्र है। किसी भूकम्प वाले क्षेत्र में 800 फुट का बांध बनाना बहुत खतरनाक है। अतः हमें प्रत्येक दृष्टिकोण से इस समस्या का गहन अध्ययन करना चाहिए।

पगलदिया परियोजना को पहले ही मजूरी दी जा चुकी है परन्तु इसका कार्य यथा संभव शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इसे हमें एक या दो वर्ष में पूरा कर लेना चाहिए।

ब्रह्मपुत्र के पास एक ऐसा स्थान है जहां हम बढ़िया ढंग से बांध बना सकते हैं और इस स्थान का नाम 'मांग-पो' है जो अब चीन के क्षेत्र में है। हमारे प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री को चीन के साथ मित्रता करनी चाहिए। यह मित्रता वहां बांध बनाने के उद्देश्य से भी की जा सकती है। चूंकि वहां पठार है इसलिए भूकम्प का भी इस पर भारी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जब बाढ़ आती है तो उस समय किसी विशेष स्तर से ऊपर चले जाने वाले जल को एक ओर बहाया जा सकता है जिससे बाढ़ पर नियंत्रण हो सकता है। हमें इस कार्य के लिए भू-पटल रचना से सम्बन्धित गहन अध्ययन करना चाहिए।

वहां नदी-तटबंध कमजोर है और उस कारण दरारें पड़ जाती हैं। हमें वहां अच्छे स्तर के तटबंध बनाने चाहिएं।

इसके अतिरिक्त खाली स्थानों को भरा जाना चाहिए। पगलदिया जलाशय को तुरन्त बनाया जाना चाहिए। सुबनसिरी की पूरी जांच की जानी चाहिए कि क्या हम इस कार्य को आरम्भ कर सकते हैं या नहीं।

बारक बांध को जितना जल्दी पूरा किया जाये उतना अच्छा है। इससे बंगला देश को भी बहुत सहायता मिलेगी। इसका सुरनाम और मेघना घाटी पर भी तुरन्त लाभदायक प्रभाव पड़ेगा।

हमारे दो संगठन हैं। एक तो गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड है और दूसरा संगठन ब्रह्मपुत्र के लिए है। इन दोनों संगठनों को पूर्ण रूपेण आत्म निर्भर बनाया जाना चाहिए।

हमारे देश में बहुत अधिक मानव संसाधन हैं। यदि हमें इन संसाधनों का उपयोग करना है तो हमें चीन और सोवियत संघ द्वारा अपनाये गए तरीके अपनाने चाहिएं। ऐसा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि 18 या 20 या 25 वर्ष के लड़के एक या दो वर्ष के लिए सेवा के रूप में कार्य करें। इस तरीके का उपयोग बाढ़-नियत्रण के लिए किया जा सकता है।

कर्क रेखा के नीचे बाढ़ से कोई संकट उत्पन्न नहीं होता है। केवल केरल में समुद्री-कटाव की थोड़ी समस्या है। संसद की प्राक्कलन समिति ने अनेक बार कहा है कि अपेक्षित धन राशि केन्द्र से आनी चाहिए परन्तु योजना आयोग का कहना है कि यह राज्य के कोष से आनी चाहिए। राज्य ऐसा करने में असमर्थ है।

ग्रुप I के बारे में चिंता की कोई बात नहीं है परन्तु ग्रुप II और ग्रुप III पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय निगम की आवश्यकता है।

*श्री एम० एस० शिवस्वामी (तिरुचेंडूर) : इस वर्ष बिहार उत्तर प्रदेश, गुजरात और आसाम राज्यों में बाढ़ का प्रकोप हुआ है। बाढ़ प्रति वर्ष आने लगी है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में कुछ आंकड़े दिये गये हैं। जिनसे पता चलता है कि सरकार ने बाढ़ के खतरे पर नियंत्रण करने के लिए ध्यानपुर्वक कार्य-वाही नहीं की है। 1953 से 1971 तक के 19 वर्षों में 131.5 लाख हैक्टर क्षेत्र प्रभावित हुआ। इससे कुल मिलाकर 627 करोड़ रूपये की हानि हुई। इसके अतिरिक्त सरकार ने मार्च, 1971 के अन्त तक बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर 228 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। बाढ़ों के कारण प्रति वर्ष औसतन 33 करोड़ रुपये की हानि हुई और सरकार ने प्रति वर्ष औसतन 12 करोड़ रुपये बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर खर्च किये। सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 1981 में समाप्त होने वाले दशक के लिए 540 करोड़ रुपये की क्रमबद्ध योजना बनाई है। सिचाई और विद्युत मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि यह योजना पूरी तरह लागू की जायें और 540 करोड़ रुपये की पूरी पूरी राशि बाढ़ नियंत्रण पर खर्च की जाये।

देश के एक भाग में जहां भयानक बाढ़ें आती है वहां दूसरे भाग में भीषण सूखा पड़ा हुआ है। यदि सरकार बाढ़ और सूखे की समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए उत्सुक है तो उसे कुछ हजार करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय का 'मास्टर प्लान' बनाना चाहिए।

वर्ष 1973 में आई बाढ़ों से कुल 485 करोड़ रुपये की हानि हुई जिसमें से 364 करोड़ रुपये की फसलें नष्ट हुई। मैं जानना चाहूंगा कि गत बारह महीनों में बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि कहीं सरकार तो इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि बार बार कुछ नदियों में बाढ़ आती है। मानसून के दौरान बाढ़ आती है। किसी भी सरकार से यह आशा की जाती है कि वह मानसून से पहले ही बाढ़ नियंत्रण के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करे। बार-बार आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के पास व्यवस्था भी है और जन शक्ति भी है।

सच्चाई यह है कि स्वतंत्रता के 27 वर्ष बाद भी सरकार बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर सकी हैं जिसके लिए सभा को चाहिए कि वह उसकी घोर निन्दा करें।

सरकार राप्ती नदी परियोजना पर गत बीस वर्षों से विचार कर रही है। इसी प्रकार नर्मदा-नदी जल विवाद पर भी सरकार निरन्तर विचार कर रही है। न ही कावेरी के जल के वितरण के सम्बन्ध में अभी तक कोई फैसला किया गया है। सरकार की यह देरी देश के लिए बड़ी मंहगी पड़ रही है।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण से पता चला है कि देश में भूमिगत जल की संभावना 1800 लाख एकड़ फुट है। सरकार ने इसका उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये हैं? गंगा-काबेरी संयुक्त परियोजना पर सरकार ने विचार नहीं किया है। न केवल गंगा को काबेरी से

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

मिलाया जाना चाहिए अपितु उत्तर भारत की सभी नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से मिलाया जाना चाहिए। तभी सूखा और बाढ़ की समस्या का हल हो सकता है।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से जो विनाश होता है उससे सभा और देश भली भांति परिचित है। बाढ़ के दौरान मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दो बार दौरा किया है। वह क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शायद 1950 के बाद आसाम में सबसे अधिक क्षति इस बार हुई है। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार इस वर्ष बाढ़ के कारण 50 करोड़ रुपये की हानि हुई है। 5 दिसम्बर, 1969 को प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य में सभा को आश्वासन दिया था कि इस बारे में एक व्यापक योजना तैयार की जायेगी और इस योजना की क्रियान्विति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। इस प्रयोजन के लिए एक आयोग भी गठित किया जायेगा। 1970 में आयोग गठित भी किया गया था और उसमें कुछ योजनाएं भी बनाई गई थीं परन्तु धनाभाव के कारण एक भी योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

बाढ़ आना आम बात हो गई है परन्तु कमजोर तटबंधों और तटबंधों पर अपर्याप्त निकासी द्वारों जैसे अल्पाविधि उपायों से तो सामान्य बाढ़ से भी अधिक विनाश हुआ है। अनेक समितियों के ये निष्कर्ष हैं।

प्रधान मंत्री को लिखे गए मेरे पत्र के उत्तर में सिंचाई और विद्युत मंत्री ने कहा है कि व्यापक योजना बनाना बहुत आवश्यक है। यह भी स्वीकार किया गया है कि राज्य के पास संसाधन नहीं है। सरकार को इसे अपने हाथ में लेने में क्या कठिनाई है ? मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें। इस सभा के माध्यम से मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि वह अपने वचन को पूरा करें। मेरा मंत्री महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि वह इस मामले पर उच्च स्तर पर विचार करें और इस पर कोई ठोस निर्णय करें।

इस समस्या के ठोस और यथार्थपूर्ण समाधान हेतु व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। इसमें थोड़ा समय लगेगा। भूतल और भूमिगत जल के सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किये जाने के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए।

अब तक केन्द्र द्वारा कुल राहत में से 75 प्रतिशत राहत दी जाती रही है। छठे वित्त आयोग की सिफारिश है कि केन्द्र राहत के माध्यम से कोई वित्तीय सहायता राज्यों को नहीं दे सकता है। इस प्रथा को बदल दिया जाना चाहिए और पहले की तरह राहत दी जानी चाहिए।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : बाढ़ और सूखे का प्रकोप न केवल बढ़ रहा है अपितु यह विकास कार्यों में भी बाधा डाल रहा है।

इस संबंध में हमें मानना चाहिए कि वित्त आयोग और योजना आयोग जैसे निकायों ने बढ़ते हुए इस खतरे की ओर अपना ध्यान दिया है।

आज प्रातः श्री मधु लिमये ने तदर्थ तरीके से राहत दिये जाने का उल्लेख किया।

छठे वित्त आयोग के प्रतिवेदन में निर्दिष्ट इस प्रकार के तदर्थ दृष्टिकोण संबंधी सिफारिश पर सरकार को ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। तदर्थ योजनाओं पर किए जाने वाले फिजूल खर्च को रोका

जाना चाहिए । राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को बाढ़ और सूखे के विनाश से अलग-थलग रखना चाहिए । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्यों की योजनाओं में दीर्घकालीन उपाय करें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके ।

रायल सीमा चिर सूखा-ग्रस्त क्षेत्र है । हम वहां से इस स्थिति के स्थायी उन्मूलन की बात करते हैं परन्तु कोई भी ठोस कार्य नहीं किया गया है । वित्त आयोग ने स्वयं स्वीकार किया है कि सूखा पीड़ित तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है और उनकी ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना गत योजनाओं के अन्तर्गत दिया जाना चाहिए था । इस तथ्य को अनुभव करते हुए स्थिति का सामना करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए ।

अन्तर्राज्यीय जल-विवाद के कारण बहु-उद्देश्य परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं जिनके कारण बाढ़ का खतरा बना हुआ है । अनुमान लगाया गया है कि यदि हमारे पास समुचित सिंचाई परियोजनाएं होती तो 2 करोड़ हैक्टर भूमि को बरबाद होने से बचाया जा सकता था । एक प्रस्ताव पेश किया था कि अन्तर्राज्यीय नदियों को राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर केन्द्र को उनका नियन्त्रण सौंप देना चाहिए । प्रस्ताव स्वीकार करने का यह अनुकूल समय है ।

केवल चर्चा से कोई लाभ नहीं होगा, हमें सामरिक स्तर पर सूखे और बाढ़ का सामना करना होगा । मेरा सिंचाई मंत्री से अनुरोध है कि वह तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें ।

Shri G. P. Yadav (Katihar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, Government have formulaied five year plans to increase the rate of economic growth in the country. Similarly, Nature has also accelerated the cycle of devastation. 1972-73 Report of the Ministry of irrigation says that total damage during 1972 due to cyclone was Rs. 149 Crores and the average annual damage during the period 1953-71 was Rs. 1.26 Crores and the maximum in one year being Rs. 632 crores in 1971. Besides, loss of human lives has also been reported. It poses challenge to Indian Engineers. Are they not competent to check flood havoc ? I request the Ministry of irrigation to pay its attention towards this problem and take appropriate action so as to avoid such heavy losses of life and property.

In U. P. floods have caused damage of Rs. 81 crores. Besides, 5 lakhs 20 thousand hectares of land have also been ruined. According to U. N. I. report 26 lakhs people have been affected by floods, Kerala and Madhya Pradesh are also victims of floods. Several districts of Madhya Pradesh are in the grip of drought these days and situation has reached serious proportions there.

Step-motherly treatment has been meted out to Bihar by the Central Government. 14 districts have been affected and 132 divisions submerged into water hue to floods. Floods have caused losses of life and property. It is estimated that it has suffered a loss of about 130 crores on accounts of floods this year. Erosion by Ganges has devastated hundreds of villages in North Bihar. It is, therefore, essential that anti-Ganga Erosion Scheme should be immediately taken up in order to save the area between Begusrai to Katihar from floods. Some arrangements should be made in consultation with the Ministry of Rehabilitation to provide shelter to those who have been uprooted due to floods. Will the Planning Commission chalk out some plan to divert the Waters of Ganga so that the area between Begusrai and Katihar can be saved from being submerged into water.

Non-completion of a ring dam on the river Mahananda near Sikatia in Bihar have caused a great damage to the districts of Katihar and Purnea. Government should enquire into the causes of its non-completion and should fix the responsibilty for the same.

Bihar Assembly should be dissolved and President Rule should be imposed because all the Ministry are corrupt and they are misapropriating central grant. I want that arrangements should be made to supply seedlings to farmers and relief committee should be set up under the leadership of Governer, Shri Bhandari to conduct relief work in the state.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : सूखे तथा बाढ़ के कारण उड़ीसा की स्थिति बिगड़ती जा रही है । हर दो-तीन वर्षों में वहां सूखा पड़ता है या बाढ़ आ जाती है ।

उड़ीसा में चावल 4 रुपये किलो बिक रहा है । इस वर्ष उड़ीसा में एक ओर तो वर्षा न होने के कारण गम्भीर सूखा पड़ा और दूसरी ओर कटक, क्योंझर, मयूरभंज और बालासौर आदि जिले बाढ़ से प्रभावित हुए । मंत्री महोदय को तुरन्त ही उड़ीसा की समस्याओं को हल करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए । यही नहीं कई जिलों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है । सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए । सूखे के कारण बुवाई कार्य में भी विलम्ब हुआ है और जितनी बुवाई हुई भी है वह वर्षा के अभाव के कारण बेकार हो गई है। उड़ीसा में 65 प्रतिशत लोग निर्धनता के स्तर से नीचे जा रहे हैं । सूखे और बाढ़ के कारण उन पर बहुत असर पड़ा है । छठे वित्त आयोग ने कहा है कि सूखे और बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए उड़ीसा 1.5 करोड़ रुपये व्यय करेगी और इतनी ही राशि केन्द्र देगा । परन्तु यह राशि पर्याप्त नहीं है । मैं आशा करता हूं कि सरकार राहत कार्यों के संबंध में छटे वित्त आयोग की सिफारिशों को नहीं मानेगी ।

देश का 19 प्रतिशत क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इससे देश में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 7-9 राज्यों में 72 जिलों को चुना गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में सूखा पीड़ित क्षेत्र योजना की एक एजेन्सी होनी चाहिए और इस एजेन्सी को सूखे का सामाना करने के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । लेकिन इस बारे में कुछ नहीं किया गया है ।

उड़ीसा में बाढ़ को रोकने के लिए अब तक केवल 9 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं । यह राशि बहुत कम है । इतनी कम राशि से प्रभावी ढंग से बाढ़ नियन्त्रण किस प्रकार किया जा सकता है । वर्ष 1953 से 71 तक प्रत्येक वर्ष उड़ीसा को औसतन 7.2 करोड़ रुपये की क्षति प्रति वर्ष हुई । वर्ष 1971—81 दशक के लिए उड़ीसा हेतु चौथी योजना के लिए 3.5 करोड़ प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं के लिए 28 करोड़ तथा अन्य योजनाओं के लिए 28 करोड़ अर्थात कुल 59.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । वर्ष 1971–74 में उड़ीसा ने 13.5 करोड़ रुपये व्यय करने थे जिनमें से 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था योजना से बाहर की जानी थी । परन्तु ऐसा नहीं किया गया । इसके क्या कारण हैं ? उड़ीसा के कुल फसल-क्षेत्र में से 7.39% क्षेत्र को बाढ़ सुरक्षा प्रबन्धों के अन्तर्गत शामिल किया गया है । इसी प्रकार 4 करोड़ 70 लाख हैक्टर धान की फसल के केवल 18 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई हुई ।

ब्राह्मणी नदी पर रेंगाली बांध तथा वैतरणी पर भीमकुंड बांध का निर्माण चौथी योजना के अन्तर्गत किया जाना था । इसी प्रकार वर्तमान तटबंधों को मजबूत बनाने, नए तटबंध बनाने, स्वर्णरेखा बाढ़ नियन्त्रण योजना चालू करने, चिल्का नहर के आसपास के स्थानों को सुधारने तथा अन्य योजनाओं पर 28 करोड़ रुपये व्यय किए जाने थे । परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया । मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि जो भी कार्यक्रम बनाए जांए, उनकी क्रियान्विति भी की जानी चाहिए । उड़ीसा की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल भेजा जाना चाहिए । मणिभद्र योजना की क्रियान्विति भी की जानी चाहिए ताकि विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की जा सके ।

Shri Nar Singh Narain Pandey (Gorakh pur) : Floods have become a permanent feature in this country. In Gorakhpur Division, most of the districts were inundated this year. Rapti, Rohin and Ghaghra have been flooded due to incessent rains in the catchment

areas of those rivers. 90 percent of population in Eastern U. P. are living below the poverty line. I have apprised the Chief Minister and Minister of Irrigation of the stituation and asked them to chalk out plan to check floods.

Jalkundi Scheme which started since 1954, has not been implemented so far. It should be implemented without delay so as to avoid floods. 26 lakhs people have been uprooted due to floods. They have no source of income. Alternative employment should be given if Government want to save them from starvation.

Central Government should come forward and conduct relief work. Our proposals should be considered by the Finance Commission or Planning Commission. The amount recommended by the Sixth Finance Commission is not sufficient to face the situation. There is a Scarcity of fodder due to damage of floods. Adequate arrangements should be made to supply fodder for cattles.

There is every possibility of epidemic being broken out. Therefore, immediate steps should be taken to check the same.

Arrangements should be made to supply seedlings to cultivaters. Recommendations made by the Sixth Finance Commission are not satisfactory. Relief work should be conducted by the Central Government . A separate Flood Control Department should be set up for this purpose.

Gandak Canal has not been linked with any outlet in Devaria and Gorakhpur district causing inundation of all the villages.

Drainage system is also not satisfactory. Steps should be taken to improve the same.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : बाढ़ और अकाल ने इस देश में स्थायी रूप धारण कर लिया है । हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बाढ़ और अकाल रोकने में असमर्थ रही है । इससे देश की अर्थ-व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है ।

गुजरात शुरू से ही प्राकृतिक प्रकोप का शिकार रहा है । वर्ष 1972 से वहां दो बार सरकार बदल चुकी है । दक्षिण गुजरात बाढ़-ग्रस्त है तो उत्तर गुजरात सूखा-ग्रस्त। कच्छ जिला भी गत तीन-चार वर्षों से सूखा ग्रस्त है । जामनगर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, अमरेली तथा भावनगर में भी वर्षा इतनी कम हुई कि बुवाई कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं हो सका ।

गुजरात में चारे की बहुत अधिक कमी है । सरकार को शीघ्र ही चारे की सप्लाई करनी चाहिए अन्यथा पशु मर जाएंगे और गुजरात में दूध का अकाल पड़ जाएगा ।

छठे वित्त आयोग ने 4.5 करोड़ रुपये की रक्षित निधि बनाने की सिफारिश की है । परन्तु सूखे का सामना करने के लिए यह राशि अपर्याप्त है । गत सूखे का सामना करने के लिए 60–70 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ी थी । इसको ध्यान में रखते हुए यह राशि नगण्य है । मेरा अनुरोध है कि गुजरात के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए ।

वर्ष 1974-75 में गुजरात के लिए 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । यदि यह राशि सूखे तथा बाढ़ का सामना करने के लिए व्यय की जाती है तो और कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकती । अतः गुजरात में सूखे का सामाना करने के लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करनी होगी । चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन है, इसलिए केन्द्रीय सरकार को स्वयं गुजरात की आवश्यकताओं को देखकर कार्यवाही करनी चाहिए । गुजरात के कई क्षेत्रों में पेय जल की कमी है । सरकार को पर्याप्त धनराशि तथा औजार आदि वहां भेजने चाहिएं ।

लघु सिंचाई तथा भू-संरक्षण संबंधी योजनाओं को चालू किया जाना चाहिए । वहां लिग्नाइट तथा कोयले के भंडार मिलने की संभावनाएं है । इसलिए बिना विलम्ब किए खोज-कार्य शुरू किया जाना चाहिए ।

भावनगर क्षेत्र में चारे की अत्यधिक कमी है । समन्वय समिति ने यह निर्णय किया था कि कलक्टर को भावनगर जिले के लिए अतिरिक्त चारे की मांग करनी चाहिए । एक जिले से दूसरे जिले में चारा भेजने से काम नहीं चलेगा ।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : दुर्भाग्य की बात है उड़ीसा वर्ष 1970 से बाढ़, काव्य-चक्र और सूखे का शिकार होता आ रहा है । बालासौर जिला वर्षा के अभाव के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है । उधर मेरे जिले में भयंकर बाढ़ आने से खरीफ की फसल नष्ट हो गई । वहां के लोगों का जीवन बहुत ही कष्टमय हो गया है । गत वर्ष दो केन्द्रीय दलों ने मेरे जिले का दौरा किया था । सरकार ने राहत-कार्य के रूप में 18 करोड़ रुपये पुनर्वास तथा मुरम्मत के लिए स्वीकृत किए थे । दुर्भाग्यवश धन का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं किया गया । परिणामस्वरूप लोगों के कष्ट अभी तक दूर नहीं हुए ।

वैतरणी नदी के तटबंध में दरार पड़ने से कई गांव जलमग्न हो गए और फसलें नष्ट हो गई । राज्य सरकार ने 40 हजार रुपय भी व्यय किए परन्तु दरार ज्यों की त्यों बनी हुई है ।

भीमकुंड परियोजना वर्ष 1958 से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । 10–12 वर्षों के बाद स्थान का निर्णय किया गया है : मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह शीघ्र ही परियोजना की जांच करे तथा इसकी क्रियान्विति के लिए कार्यवाही करें । इससे कुछ हद तक बाढ़ तथा सूखे के प्रकोप को कम करने में सहायता मिलेगी ।

वतरणी नदी पर आनन्दपुर में एक बांध का निर्माण किया जाना चाहिए । केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने इसकी स्वीकृति दे दी है । फिर भी परियोजना के स्थापना-स्थल का चयन नहीं किया गया है । मंत्री महोदय इसकी क्रियान्विति के लिए शीघ्र कार्यवाही करें ।

गतवर्ष रांगेली परियोजना को स्वीकार कर लिया गया था । और काम इस वर्ष शुरू हो जाना चाहिए था । परन्तु धनराशि अभी तक स्वीकृत नहीं की गई । मंत्री महोदय इसकी जांच करें और धन-राशि स्वीकृत करें ताकि योजना क्रियान्वित की जा सके ।

यह ठीक है कि सूखा और बाढ़ एक सिक्के के दो रुख हैं । दोनों समस्याओं का समाधान करना संभव है ।

Shri D. N. Tiwary (Gopalgonj) : I hope Government will take into consideration the suggestions given by Dr. K. L. Rao. This year Bihar has been a victim of floods and draught simltaneously . Many pasts of Bihar are a picture of devastation due to recent floods and some other areas are totally ruined due to persistent draughts for the last 3 or 4 years. As a result of those calamities, people have been suffering a great deal.

My constituency i.e. District Saran is surrounded by four rivers and it is a flood-prone District. This year a number of villages have been campletely washed away and those which survived the floods have been deprived of all crops. Therefore a serious sitution has arisen in the wake of floods. I will therefore, urge upon the Government to take immediate and necessary steps to provide food and employment to the flood victims in that area. I will suggest that the drainage system of that area should the improved.

The Gandak Project should also the implemented at the earliest. The regions which received excessive rains have been water-logged and should be declared as flood-affected areas.

श्रीमती माया राय (रायगंज) : इस समस्या पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करने के लिय मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद देती हूं । उत्तरी बंगाल में छः जिले हैं और इसमें से फलदा को छोड़कर शेष पश्चिमी बंगाल के एक-चौथाई क्षेत्र के बराबर हैं । तथा इसमें राज्य की 1/6 जनसंख्या रहती है विभिन्न फसलों के द्वारा इससे राज्य को एक-तिहाई आय होती है । यह देश का महत्वपूर्ण भाग है ।

यह बात खेदजनक है कि सरकार गत 12 वर्ष से समस्त उत्तरी बंगाल को, विशेषकर फलदा, कूच-बिहार और जलपाईगुड़ी को बाढ़ग्रस्त जिला घोषित करने में असफल रही है ।

बाढ़ की इस समस्या को हल करने के लिए एक सुव्यवस्थित तरीका अपनाया जाये संबंधित विभागों जैसे सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, रेल और बन विभागों में समन्वय और सहयोग होना चाहिए । पड़ौसी राज्यों और केन्द्र में भी सहयोग होना चाहिए । यह सहयोग मानसून के विनाश से पहले स्थापित किया जाना चाहिए । इसके लिए बृहत योजना की आवश्यकता है इस कार्य को टुकड़े-टुकड़े करके नहीं किया जाना चाहिए ।

एक परियोजना गंगा-ब्रह्मपुत्र नहर के नाम से चल रही थी जो पूरे आसाम, पश्चिमी बंगाल बंगलादेश और समस्त पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित करती थी । यह कई वर्ष तक आरम्भिक स्थिति में पड़ी रही । सिंचाई मंत्री इस महत्वपूर्ण परियोजना के शीघ्रातिशीघ्र पूरा करें ।

श्री रण बहादुर सिंह (सिधी) : बाढ़ अथवा सूखा की स्थिति पर प्रायः हर वर्ष हमें चर्चा करनी पड़ती है । गत वर्ष और उससे पूर्व के वर्ष हमारे क्षेत्र में बहुत कम वर्षा हुई और उसके कारण मुख्य फसल चावल को क्षति हुई । इस वर्ष भी वर्षा में विलम्ब के कारण फसल प्रभावित हुई है । वास्तव में इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

उस क्षेत्र में अब केवल बनसागर परियोजना से ही कुछ आशाएं हैं । परन्तु इसके बारे में एक बहुत ही चिंतनीय स्थिति उत्पन्न हो रही है । जिन लोगों को बनसागर परियोजना के प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए भेजा गया था उन सब को बाहर भेज दिया गया है । उन लोगों के लिए वहां पर एक कालोनी का भी निर्माण किया गया था परन्तु आज वह खाली पड़ी है । लोगों को इस बांध से जो आशाएं बंधी थी आज फिर उनके आगें अन्धेरा छा गया है । मंत्री महोदय को इस परियोजना की ओर ध्यान देना चाहिये ।

बनसागर परियोजना को मूलतः 130 करोड़ रु० की लागत से 10—15 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाना था । जब इस परियोजना को स्वीकार किया गया था तो हमें आशा थी कि पाचवीं योजना में इसके आकार के अनुरुप व्यवस्था होगी । परन्तु बड़े दुख की बात है कि 1974–75 वर्ष में बनसागर के लिए केवल 50,000 रुपये की वित्तीय व्यवस्था है । इससे यह आशंका उत्पन्न हो रही है कि बनसागर परियोजना को क्रियान्वित भी किया जायेगा अथवा नहीं ।

सिंगरोली तहसील में भी एक बार फिर से वर्षा नहीं हुई है । गत वर्ष उन्हें चावल की फसल से हाथ धोना पड़ा और इस वर्ष वर्षा में विलम्ब के कारण बाध्य होकर पुनः बुवाई करनी पड़ी है । उस क्षेत्र के भूगर्भीय जल का सर्वेक्षण किया जाये अन्यथाइस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता । इस क्षेत्र की भूमि बहुत उपजाऊ है ।

यह क्षेत्र सूखा से निरन्तर प्रभावित होने वाला क्षेत्र है । इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 2 से 3 करोड़ रु० के व्यय के डी० पी० ए० कार्यक्रम की व्यवस्था है । यह धन सड़कों की व्यवस्था पर व्यय नहीं हो सकता । परन्तु सिधी जिले में पश्चिम से पूर्व तक केवल एक ही सड़क है और सभी संभावित परियोजना क्षेत्र इस सड़क पर नहीं पड़ते । जब तक क्षेत्र में सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता तब तक यह धन व्यय नहीं हो सकेगा । अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

केन्द्र सरकार ग्रामिणों के पुनर्वास और स्वास्थ्य की देखभाल का उत्तरदायित्व नहीं ले सकती । गांव के लोगों का सरकारी तंत्र में समुचित सहयोग प्राप्त किया जाये क्योंकि उसके बिना इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा सकता । सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि लोग किस प्रकार सरकार की जिम्मेदारियों में सहयोग प्रदान कर सकते हैं ।

सरकार को कम से कम तीन वर्षों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में निवेश रोकने की बात पर भी विचार करना चाहिये । कृषि क्षेत्र में हमारा निवेश औद्योगिक क्षेत्र के निवेश की तुलना में बहुत कम है । अतः सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या उद्योगों में धन के निवेश के स्थान पर कृषि और बिजली के क्षेत्र में धन का निवेश संभव है ?

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : सूखा की स्थिति हमारे देश में प्रायः प्रतिवर्ष उत्पन्न होती है । कर्नाटक के तुमकुर, कोलार, बंगलौर, मंडिया आदि जिले इस बार सूखाग्रस्त हैं । बेलगांव जिले के अथनी, रामबाग, डकेरी और चिकौडी क्षेत्र भी इस से प्रभावित हुए हैं । वर्तमान अनुमानों के अनुसार यदि समूचे जल संसाधनों का उपयोग किया जाये तो राज्य में कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 25 क्षेत्र में सिंचाई सुविधाए उपलब्ध की जा सकती हैं । हम हरियाणा पंजाब जैसे राज्यों के सिंचाई स्तर तक पहुंचने की कभी आशा भी नहीं कर सकते । फिर कृष्णा जल अधीकरण द्वारा जो निर्णय दिया गया है उससे हमारी क्षमता का एक बड़ा भाग भी हमसे लिया जा रहा है । अतः इस मामले पर समुचित विचार किया जाये । मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिये कि कर्नाटक राज्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार किस कारण से किया गया है ।

सरकार को देखना चाहिये कि देश की नदियों के जल का विशेषरूप से अन्तर्राज्यीय नदियों के जल का, अधिकतम उपयोग हो देश की सारी नदियों को राष्ट्रीय परिसम्पत्ति मानना चाहियें उस स्थिति में अधिकरण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । केन्द्र सरकार को इस प्रकार का निर्णय करना चाहिये । मंत्री महोदय को इस बारे में सरकार की विचारधारा स्पष्ट करनी चाहिये ।

हमारे देश में बाढ़ तथा सूखा की समस्या के हल के लिए कोई गैर-सरकारी संस्थागत ढांचा नहीं है । यह एक बहुत बड़ी कठिनाई है । यह सारा कार्य केवल मात्र सरकारी तन्त्र के अन्तर्गत नहीं हो सकता । अतः कोई अन्य व्यवस्था करनी चाहिये ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : राष्ट्रीय नदी ग्रिड योजना से बाढ़ समस्या का स्थायी हल निकल सकता है । माननीय मंत्री बताये कि इस योजना की क्या स्थिति है ? एकीकृत ग्रामीण विकास पर कभी दल ने अनेक सुझाव दिये हैं । सरकार को उन सुझावों पर विचार करना चाहिये ।

सरकार को सूखा वाले क्षेत्रों के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण बनाना चाहिये और सभी संसाधनों को एक स्थान पर एकत्रित करना चाहिये । इसके साथ ही सघन क्षेत्र विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । सूखा वाले प्रत्येक क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रम बनाना चाहिये । प्रत्येक

जिले में संसद सदस्य की अध्यक्षता में विधायकों और ग्राम पंचायतों व जिला परिषद के सदस्यों से युक्त एक बोर्ड बनाना चाहिये । यह बोर्ड सूखा वाले क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम को लागू करें । सरकार को पांचवीं योजना में इस कार्य पर 1,000 करोड़ रु० का व्यय करना है । इस प्रकार के प्रबन्ध से अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं ।

श्री एच० एम० पटेल (धांधुका) : बाढ़ों के नियंत्रण और सूखे की स्थिति का सामना करने के कार्यों में धन का अभाव मुख्य समस्या है । हमने अपनी सभी पंचवर्षीय योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण तथा सूखा स्थिति पर नियन्त्रण के लिये काफी व्यवस्था की । परन्तु इस संबंध में एक बहुत बड़ी कठिनाई यह है कि पर्याप्त निधियों का आवंटन नहीं होता और यदि धन का आवंटन हो तो निधियों का समुचित उपयोग नहीं होता । यदि बाढ़ नियंत्रन की योजनाएं अच्छी हों और उन्हें कार्यान्वित न किया जाये तो कार्यान्वियन की कमी है । स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही हम नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में बन रोपण की बातें सुन रहे हैं । परन्तु वे क्षेत्र आज भी उसी प्रकार बन रहित हैं । इस कार्य पर बहुत अधिक धन के व्यय की अपेक्षा नहीं है । यह तो एक व्यवहारिक हल है ।

बाढ़ों के नियन्त्रण के लिये तटबन्ध बनाये जाते हैं परन्तु उनका रख रखाव समुचित नहीं । सारा वर्ष और विशेष रूप से वर्षा के मौसम में उन पर नजर रखने की आवश्यकता है । अतः बाढ़ के दिनों में गश्त का प्रबंध किया जाना चाहिये जिससे कि छोटी सी दरार का भी समय रहते पता चल सके व उसकी मरम्मत की जा सके । सरकार को अपनी योजनाओं को कुशलता एवं शीघ्रतापूर्वक लागू करना चाहिये ।

हमें बाढ़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त धन की राशि की व्यवस्था करनी चाहिये । बाढ़ों के कारण प्रति वर्ष होने वाले जान-माल के नुकसान को देखते हुए यह व्यय अधिक नहीं होगा । हमें अपने ज्ञान से लाभ उठाना चाहिए । केवल भाषणों में ही समय व्यतीत न करके शीघ्रता से योजनाओं के कार्य को हाथ में लेना चाहिये । बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का दायित्व केन्द्र को अपने ऊपर लेना चाहिये ।

एक समय था जबकि नर्मदा में 5 से 10 वर्ष की अवधि के पश्चात बाढ़ आती थी परन्तु अब 1964 से स्थिति यह है कि बाढ़ें प्रति वर्ष आने लगी हैं । उनके नियन्त्रण के स्थान पर अन्तर्राज्यीय विवाद चल रहे हैं जिससे छोटे से छोटे कार्य में भी विलम्ब हो रहा है । बरगी योजना के कार्य को शीघ्रता से प्रारंभ किया जाये । वह तो अन्य राज्यों से सम्बद्ध नहीं है । उसके लिए निधियां हैं । उसके बारे में कोई अन्तर्राज्यीय झगड़ा भी नहीं है । इससे नदी के अन्तिम भाग में स्थित गुजरात राज्य को भी सहायता मिल सकती है ।

सूखाग्रस्त अधिकतर क्षेत्रों में बारानी खेती होती है । अतः बारानी खेती के बारे में अनुसंधान को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये । इस अनुसन्धान के अच्छे परिणामों को किसानों को अवगत कराया जाये ।

बाढ़ नियंत्रण के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई जाये । देश में बाढ़ नियंत्रण की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए इन पांच वर्षों के लिए अपेक्षित धनराशि उपलब्ध की जानी चाहिये । धनराशि की व्यवस्था के साथ-साथ योजनाओं के कार्यान्वियन पर अधिकतम महत्व दिया जाये । इसका उत्तरदायित्व केन्द्र ग्रहण करे और योजनाओं को कुशलता से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को माध्यम बनाया जाये ।

Shri Mohd. Jamilurratman (Kishanganj) : 14 Districts of Bihar have been badly affected due to floods. 182 blocks out of a total of 232 blocks are worst affected. 69.78% population of the State has been affected. The floods have caused a loss of property worth Rs. 7067.68 lakh. 9 blocks of Purnea District are worst affected. But out of these blocks two blocks have not been included in the list of affected blocks supplied to us.

A number of people have died due to floods. In my constituency about 19 persons are reported to have died and about 300 cattle have died. About eight lakh population of 2368 k.m. area has been affected. Crops worth Rs. 1134 lakhs have been affected.

These floods have been caused due to flooding of Mahananda, Kosi, Panar, Bakra, etc. Rivers. These Rivers are called 'sorrow of Purnea District'. I have invited the area and found that 10 bridges an Arariya-Thakurganj Lateral Road, out of a total of 52 bridges, are in need of urgent repairs. If early attention is not paid there is likely hood of their collapsing. Hence the Government should pay attention towards it. Panar and Bakra rivers have caused wide spread devastation in Jokihat area. The rescue boats were not available in the area. When I tried to contact District Magistrate of the area, he was found sleeping. Such officers should be removed from the service.

In Jogihat area also a number of people have died the Government has promised provided an amount of Rs. 2 70 crores for relief for flood affected area of Bihar is not at all adequate enough. This allocation should be increased. Food requirements of Bihar for the months of August, September and October should also be fully met.

Dams should be constructed on the rivers which are known as "soorrow of Purnea". As these floods are a regular feature these bridges would provide relief to the people of the area.

These flood affected areas should be declared as famine or flood affected areas and famine code should be made applicable there. There should be consideration amongst Agriculture, Irrigation and Power, Forest, Planning and Finance Departments. Sufficient loans should be given for Agricultural, Housing and other purposes. Arrangements should be made to provide Medical Aid. About 40,000 people have already died due to Small Pox in Bihar. Arrangements for drinking water and Paddy seedlings should also be made. Katihan District is the worst affected by floods and food packets are being air-dropped. When I viewed this area I was told by D. M. that the main reason for the flood is that there is no outlet on the eastern side of Bengal. The Government should look into this matter. It may be pointed out that 14 blocks of Madhubani District are worst affected. Government should deal with this problem on a war footing.

श्री मोइनुलहक चौधरी (धुवरी) : बाढ़ की समस्या बहुत गंभीर है । वर्ष 1973 में बाढ़ के कारण देश की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से 485.45 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी थी। इस वर्ष अब तक 48.58 करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है । इस से पता चलता है कि यह एक गम्भीर समस्या है । डा० के० एल० राव ने एक बार कहा था कि अधिकांश समस्याओं का समाधान किया जा सकता है बशर्तेकि सम्बन्धित योजनाओं को क्रियान्वित किया जाये । वर्ष 1957 में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी और उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने कम से कम 9 समितियां बनाई होंगी जो समय-समय पर देश के किसी एक भाग में अथवा समुचय देश में इस समस्या पर विचार करती रही है । इनमें एक समिति मंत्रियों की एक बाढ़ नियंत्रण समिति भी थी जिसके बारे में उल्लेख किया गया है । मैं उस समिति का सदस्य ही नहीं था बल्कि उस प्रारूप समिति का चेयरमैन भी था जिसने प्रारूप तैयार किया था और जो समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था जिसे बाढ़ नियंत्रण और भावी योजनाओं के लिए दस्तावेजों में स्थान दिया गया । इन वर्षों में बाढ़ नियंत्रण के बारे में कुछ काम हुआ है परन्तु इन में से अनेक सिफारिशों को अभी कार्यरूप नहीं दिया गया है । इस संबंध में जो थोड़ा बहुत काम

हुआ भी वह कारगर सिद्ध नहीं हुआ है । इस स्थिति का मूल कारण यह है कि हमने इस काम को उचित प्राथमिकता नहीं दी है । मेरे विचार में बाढ़ नियंत्रण पर पर्याप्त धनराशि खर्च नहीं की गई है । बाढ़ के कारण देश की औसत वार्षिक हानि 126 करोड़ रुपये है परन्तु इस समस्या का हल करने के लिये पहली योजना में 13.21 करोड़ रुपये और दूसरी योजना में 48.06 करोड़ रुपये खर्च किये गये । अब पांचवीं योजना में 281 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है परन्तु अभी देखना है कि यह राशि समय पर उपलब्ध होगी या उसमें कटौती कर दी जायेगी ।

गत वर्ष आसाम में बाढ़ का प्रभाव 24.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर पड़ा था । समस्त देश में 3,800 लाख रुपये के मूल्य की फसल की क्षति हुई थी जबकि केवल आसाम में 1,131 लाख रुपये की फसल की क्षति हुई थी । आसाम बहुत ही गरीब राज्य है और उसके संसाधन बहुत सीमित हैं । इस वर्ष भी बाढ़ के कारण इस देश को 60 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है । इस बार सब से बड़ा नदी द्वीप माजुली आंशिक रूप से बह गया है । राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर गंगाधर पुल भी आंशिक रूप से बह गया है । इसके परिणामस्वरूप आसाम का शेष देश के साथ संपर्क सड़क मार्ग से लगभग टूट गया है । ब्रह्मपुत्र नदी का रुख 'गारो हिल्स' की सीमा की ओर है और उसके परिणामस्वरूप ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर लगभग 20 लाख लोगों के लिये कोई भूमि या मकान नहीं रहेगा । आसाम ने इस समस्या के साथ निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार से 10 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है । इस प्रयियोजन के लिए राज्यों को सहायता देने की प्रक्रिया निर्धारित थी । छठे वित्त आयोग ने इस प्रक्रिया पर विचार नहीं किया । मैंने आज हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' में पढ़ा है कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल में हुई हानि का जायजा लेने के लिये वहां पर कोई दल नहीं भेज रही । केन्द्रीय सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये । आसाम के ढुबरी सबडिवीजन पर बाढ़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है । 23 जून, 1974 से लेकर 15 अगस्त, 1974 तक ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का स्तर ढुबरी में खतरे के निशान से कभी भी कम नहीं रहा । इसके परिणामस्वरूप वहां की पूरी फसल नष्ट हो गई है और इस क्षेत्र में 2.22 करोड़ रुपये से अधिक हानि हुई है । आज दो महीने के बाद भी वहां हजारों लोग बेघर हैं । उनके लिए अन्न, 'बेबी फूडों', औषधियां की व्यवस्था करनी होगी । सैकड़ों महिलायें नग्न और अर्धनग्न हैं जो अपने आपको वृक्षों के पत्तों से ढके कैम्पों में पड़ी हैं । उनकी दशा दयनीय है । सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयत्न पर्याप्त नहीं हैं अतः मैं भारत की समस्त जनता से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे राज्य की उदारतापूर्वक सहायता करें । आसाम में अन्न औषधियां, डाक्टर आदि भेजने की तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिये । आसाम सरकार को इस संकट का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिये । तिरपालें और सी० आई० चादरे भी वहां भेजी जानी चाहियें ताकि उनके लिये छत की व्यवस्था की जा सके । गंगाधर पुल को फिर से शीघ्र बनाया जाना चाहियें । फकीरगंज के निकट ब्रह्मपुत्र के तटबन्ध को फिर से मजबूत बनाना चाहिए ।

बाढ़ नियंत्रण और भू-संरक्षण का विषय केन्द्रीय सरकार के अधीन होना चाहिये । कम से कम तत्सम्बन्धी योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित होनी चाहियें । राज्य सरकारें इतने बड़-बड़े निर्माण कार्य नहीं कर सकती फिर बड़ी नदियों के जिन क्षेत्रों से वर्षा होती है वे एक राज्य में नहीं होते । इस लिये यह काम एक राज्य का नहीं हो सकता । ब्रह्मपुत्र आयोग अधिनियम को तुरन्त पास कर देना चाहिये । ढुबरी सब डिविजन में विशेषकर ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर कुछ ऊंचे-ऊंचे प्लेटफार्म बनाये जाने चाहियें ताकि बाढ़ आने पर लोग वहां पर शरण ले सकें ।

बाढ़ नियंत्रण के लिये आसाम में अल्पावधि उपायों के साथ-साथ दीर्घावधि उपाय भी किये जाने चाहियें । बैरक परियोजना अभी तक अधूरी पड़ी है । मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने नेतृत्व में आसाम सरकार, मणिपुर सरकार जैसी सम्बन्धित पार्टियों की परस्पर बातचीत करवाये जिससे इस परियोजना का निर्माण-कार्य आरम्भ हो सके ।

ब्रह्मपुत्र में तलकर्षण अवश्य किया जाना चाहिये । बिना तलकर्षण के बाढ़ की समस्या हल नहीं की जा सकती । पहले तलकर्षकों का आयात करने का विचार था परन्तु बाद में यह तय हुआ कि उन्हें देश में ही बनाया जाये । पहला तलकर्षक जून, 1973 में आसाम सरकार को दिया गया और दूसरा नवम्बर, 1973 में । परन्तु एक वर्ष बीत जाने पर भी वे गौहाटी सर्किल हाउस के पास बेकार पड़े हैं । देश के दुर्लभ संसाधनों को खर्च करके तलकर्षकों का उपयोग न किये जाने का क्या लाभ है ? मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक तलकर्षण कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

बाढ़ नियंत्रण के संबंध में जो सुझाव मैंने दिये हैं मंत्रालय को उन पर विचार करना चाहिये और निर्माण-कार्यों को तुरन्त पूरा करना चाहिये । यही मेरा अनुरोध है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : जहां तक कृषि उत्पादन कार्यक्रम का सम्बन्ध है हमने निर्णय किया है और हम आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जिनपर बाढ़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, उच्च अधिकारियों के दल भेज रहे हैं ताकि वे पता लगायें कि हम क्या कार्यवाही करें जिससे उत्पादन में कमी न हो । कुछ क्षेत्रों में हम धान के आरोपण का काम शीघ्र करना चाहते हैं । हमने राज्यों को इस संबंध में अल्पावधि ऋणों के रूप में सहायता देने के लिये 60 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था की है ताकि राज्य सरकारें बीज तथा अन्य आवश्यक सामान खरीदने के लिए किसानों को ऋण दे सकें । हमने उन्हें यह भी सलाह दी है कि वे धान का विलम्ब से आरोपण न करें क्योंकि उस से देर से ही खाद्यान्न तैयार होता है और सर्दी का मौसम आ जाता है और उत्पादन कम होता है, ऐसे राज्यों को मक्का आदि जल्दी उगने वाली फसलों की बुवाई करनी चाहिये और बीज बोने के लिए भूमि तैयार करनी चाहिए । यही हमारी कृषि उत्पादन नीति है ।

जहां तक सूखे की स्थिति का सम्बन्ध है दुर्भाग्य से इस वर्ष वर्षा दो-तीन सप्ताह देर से आरम्भ हुई थी । परन्तु बाद में देश के कुछ भागों में काफी वर्षा हुई । यह ठीक है कि गुजरात राज्य के कुछ भागों में अर्थात् कच्छ और उत्तर गुजरात में स्थिति ठीक नहीं है । कच्छ में सूखे का यह चौथा वर्ष है और यह पशुधन के लिये बहुत खतरे की बात है । वहां की जनता से हमारी पूरी सहानुभूति है । इसी प्रकार दक्षिण उड़ीसा के काफी बड़े क्षेत्र में वर्षा सामान्य से कम हुई है । बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी सामान्य रूप से वर्षा नहीं हुई । परन्तु हमें घबरा नहीं जाना चाहिये क्योंकि हमारा देश बहुत विस्तृत है ।

यह कहना उचित नहीं है कि गुजरात में राष्ट्रपति शासन के कारण वहां का प्रशासन सूखे की समस्या से निपटने के बारे में उदासीन है । वहां के राज्यपाल तथा अधिकारी केन्द्रीय सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं और वे अपनी समस्याएं हमारे विचारार्थ भेजते रहते हैं । इस समय गुजरात में राहत कार्यों के लिये लगभग एक लाख लोग काम कर रहे हैं ।

श्री नटवर लाल पटेल (मेहसाना) : केवल कच्छ में राहत कार्य आरम्भ किये गये हैं । गुजरात राज्य के अनेक क्षेत्र अभी ऐसे हैं जहां पर पर्याप्त धन उपलब्ध न किये जाने के कारण अभी राहत कार्य आरम्भ नहीं किये गये हैं ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: सूखे से प्रभावित अन्य क्षेत्रों में भी राहत कार्य आरम्भ किये जायेंगे 125 राहत संबंधी कामों में 19,000 श्रमिकों ने और विभागों द्वारा आरम्भ किये गये 635 कामों में 80,000 श्रमिकों ने इस क्षेत्र में काम आरम्भ कर दिया है। कुछ गांवों में पेयजल की भी समस्या है। 133 गांवों में टैंकरों द्वारा पेय जल सप्लाई किया जा रहा है और लगभग 6 गांवों में बैल-गाड़ियों से पानी सप्लाई किया जा रहा है और इस व्यवस्था का आवश्यकतानुसार विस्तार किया जा सकता है। इनमें से कुछ क्षेत्रों में लगभग 77 लाख किलोग्राम घास भेजा गया है क्योंकि उन्हें चारे की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में तुरन्त कार्यवाही की है। वहां पर राहत कार्यों के लिये लगभग 55 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है और किसानों को लगभग 25 लाख रुपये के तकावी ऋण मंजूर किये गये हैं। जिन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति पैदा हो रही है उनमें अनुग्रह के रूप में राहत के लिए 7 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

जहां तक इन राज्यों में खाद्य स्थिति का सबंध है, गुजरात में हमारे पास काफी भंडार है। मोटे अनाज की कुछ कमी है परन्तु वह भी इस सप्ताह कांडला पत्तन पर एक जहाज के पहुंच जाने पर ठीक हो जायेगी और हमें उन्हें पर्याप्त मात्रा में मोटा अनाज सप्लाई कर सकेंगे। हम गुजरात की सहायता करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे।

उड़ीसा में चावल की स्थिति कुछ ठीक है और उनको गेहूं सप्लाई करने के लिये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने हमें बताया है कि राहत देने के लिये हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है। मुझे शंका है कि समाचार-पत्रों ने मेरे वक्तव्य को गलत ढंग से छापा है। मैंने वक्तव्य में यह कभी नहीं कहा था कि आसाम की स्टाक की स्थिति संतोषजनक है या वहां पर्याप्त स्टाक हैं। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। हमने तीन दिन पहले आसाम को 3,000 टन अतिरिक्त गेहूं की मंजूरी दी है। हम सामान्यतया 9,000 टन गेहूं सप्लाई करते रहे हैं।

आसाम सरकार को चावल की सप्लाई करने के संबंध में हम संभावनाओं का पता लगा रहे हैं।

अनेक माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि तदर्थ निर्णय नहीं किये जाने चाहिये। इस देश में चौथी योजना के दौरान भारत सरकार ने सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के विकास के लिए पहली बार वैज्ञानिक कार्यक्रम आरंभ किया था। हमने 54 जिले और उनसे लगे हुए 18 जिलों का पता लगाया है जो सूखे से प्रभावित हैं। गत चार वर्षों में 84 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। पांचवीं योजना में 187 करोड़ रूपये के परिव्यय का अनुमान है।

इन जिलों के लिए 'मास्टर प्लान' बनाये जाने के बारे में भी कहा गया है। कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पांचवीं योजना में इन योजनाओं का प्रभाव पड़ेगा। 'टास्क फोर्स' ने भी विभिन्न सुझाव दिए हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि केन्द्रीय प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। सूखा-राहत कार्य राज्य का विषय है और हम वहां की सरकारों की भावनाओं का आदर करते हैं। केन्द्रीय प्राधिकरण में निश्चय ही कुछ कमियां रहेंगी। जहां तक समन्वय का संबंध है, मैं आश्वासन देता हूं कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन गतिविधियों के समन्वय के लिये केन्द्र में प्रभावी व्यवस्था हो।

(अन्तर्बाधाएं)

सभापति महोदय: कृपया प्रश्न मत पूछिए ।

(अन्तर्बाधाएं)

Mr. Chairman : Shri Pant is mainly responsible for replying to the debate.....

Shri G. P. Yadav (Katihar) : We want seeds of wheat. What does the hon. Minister say ? (*Interruptions*).

Mr. Chairman : Please do not convert this debate into a debate on food. A separate debate on that subject is going to take place. The hon. Members may speak at that time.

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : The present debate relates to both floods and drought. The hon. Minister concerning drought has spoken. Who will throw light on what we say on drought ?

Mr. Chairman : So far as drought is concerned, it concerns irrigation facilities. Shri Pant will reply to the points relating to irrigation and he will give information about food after collecting it from the concerned Ministry.

श्री समर गुह: (कन्टाई) : इस समूचे वाद-विवाद को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए था ।

सभापति महोदय: श्री शिन्दे को 5 बजे के विमान से जाना है । यह आग्रह मत करिए कि वह यहां रहें ।

Shri Shanker Dayal Singh (Chatra) : The hon. Minister may go by the plane leaving at 7 o'clock . If our points are to be conveyed, we can do that in writing.

श्री श्याम नन्दन मिश्र: इतने गंभीर मामले को सरकार द्वारा इस तरह नहीं लिया जाना चाहिए ।

श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे: मैं नहीं जा रहा हूं । मैं यहीं रहूंगा ।

श्री समर गुह: मैं श्री शिन्दे को व्यक्तिगत असुविधा नहीं देना चाहता हूं परन्तु वह इस वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी हैं । अतः मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगता हूं ।

मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वहां गत आठ वर्षों में छह बार बाढ़ आई हैं और एक बार सूखा पड़ा है और इस वर्ष बाढ़ और विनाशकारी तूफान आए हैं । समाचारों के अनुसार पांच लाख व्यक्ति बेघर हो गए हैं, 20,000 व्यक्ति अपने मकान खो चुके हैं और 200 पशु खो गये हैं ।

यह क्षेत्र दक्षिण बंगाल का चावल पैदा करने वाला क्षेत्र है परन्तु वहां इस समय 4 रुपये किलो चावल बिक रहा है । इतना ही नहीं, उन्होंने गत आठ वर्षों के दौरान बहुत से ऋण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से लिए हैं !। उन्हें क्या राहत दी जायेगी ?

इस समय देश में विशेषकर आसाम, उत्तरी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों में अनाज, कपड़ा, मकान और दवाइयां देने की व्यवस्था करने की मुख्य समस्या है । जो क्षेत्र बाढ़ के कारण जलमग्न है वहां पौध लगाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि अगले 10 या 15 दिन में पानी उतर जायेगा ।

पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था करने को दूसरी प्राथमिकता दी जानी चाहिए । तीसरे हमें खाद्यान्न और मकानों की व्यवस्था करनी होगी ।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं कल भारत में चल रहे 8 या 9 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय राहत संगठनों से मिला और मैंने उनसे कहा कि आप बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में राहत क्यों नहीं पहुंचाते । उन्होंने कहा कि भारत सरकार यदि इस संबंध में अनुरोध करे, तो हम अपने देश को खाद्यान्न के रूप में सहायता देने के लिए लिख सकते हैं ।

मेरा सुझाव है कि सरकार इन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को तुरंत लिखे ।

मेरा दूसरा सुझाव है कि लगभग सभी बड़े व्यापारिक गृहों की निजी कम्पनियों के ट्रस्ट फंड हैं । सरकार को चाहिए कि वह निजी कम्पनियों के सभी निदेशकों की बैठक बुलाये और उन्हें ट्रस्ट फंड की थोड़ी राशि राहत कार्य के लिए देने को कहे ।

मेरा तीसरा सुझाव है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी सगठनों का आह्वान किया जाये कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने एक दिन का वेतन राहत कोष में दें ।

मैं कहना चाहता हूं कि लोग दीर्घकालीन बाढ़ नियंत्रण या सूखा नियंत्रण उपायों की प्रतीक्षा कर सकते हैं परन्तु भूख को नही दबा सकते हैं । मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र का तो कम से कम पता है और मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि यदि सरकार ने लोगों की सहायता के लिये राहत उपाय नहीं किये तो हम लोगों को भूखों मरता नहीं देखेंगे और हम किसी भी कीमत पर आन्दोलन आरंभ कर देंगे तथा लोगों को राहत, खाना और मकान देने के लिए सरकार को विवश करेंगे ।

यदि सरकार ब्रह्मपुत्र को गंगा से जोड़ने का 'मास्टर प्लान' बनाये तो आसाम, बंगला देश और उत्तरी बंगाल की बाढ़ की समस्या तथा कलकत्ता पत्तन को बचाने के लिए फरक्का बांध के जल की सप्लाई की समस्या हल हो सकती है ।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : सिंध बेसिन में बाढ़ पर पूर्णतया नियंत्रण कर लिया गया है इसलिये आज पंजाब और हरियाणा में पर्याप्त अनाज पैदा होता हैं । बाढ़ पर निमंत्रण करने के लिये प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में करोड़ों रुपये की मंजूरी दी गई है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ की विनाश लीला से यह क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है । इस क्षेत्र में 1,313 वर्ग मील में से 700 वर्ग मील क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है । 264 गांवों में लोग बेघर हो गए हैं । 1961 की जनगणना के समय वहां कृषि योग्य भूमि 7 लाख एकड़ थी 1971 की जनगणना के समय मेरे जिले में कृषि योग्य भूमि कम होकर 6.57 लाख एकड़ रह गई है। बाढ़ के कारण हुए विनाश के कारण कृषि योग्य भूमि कम हो गई है ।

देश में खाद्यान्न का उत्पादन 1,100 लाख टन या 1,120 लाख टन से अधिक होता है । बाढ़ के कारण 10 प्रतिशत खाद्यान्न नष्ट हो जाता है । हम 400 से 500 करोड़ रुपये की लागत का खाद्यान्न आयात कर रहे हैं । यदि हम बाढ़ों पर आंशिक रूप से भी नियंत्रण कर सकें तो 400 या 500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है ।

इस आशय की कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है । हमने बाढ़ से संरक्षण, सिंचाई और विद्युत की राष्ट्रीय योजना के समेकित दृष्टिकोण पर विचार नहीं किया है ।

बाढ़ नियंत्रण के उपाय के रूप में कुछ तटबंध बनाये जाने के बावजूद बाढ़ की विभीषिका को रोका नहीं जा सका है । प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों के लिये कुछ योजनाएं क्यों नहीं बनाई गई हैं । लोगों को सिंचाई के स्थायी साधन उपलब्ध करा कर उनसे लेवी या शुल्क वसूल किया जा सकता है । उनकी कृषि-योग्य भूमि को बाढ़ से बचाया गया तो वे यह शुल्क दे देंगे ।

गंगा को ब्रह्मपुत्र के साथ मिलाने संबंधी प्रश्न का 21 मार्च, 1972 को उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि योजना तैयार कर ली गई है और इसे चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा और इस पर अनुमानतः 357 करोड़ रुपये की लागत आयेगी ।

तीस्ता बहुद्देशीय परियोजना को 1924 में तैयार कर लिया गया था । अब मंत्री महोदय कहते हैं कि यह विचाराधीन है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस परियोजना को शीघ्र पूरी करने और गंगा को ब्रह्मपुत्र के साथ मिलाने के लिए कार्यवाही करें ।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunun) : Although a sizeable amount has been sanctioned to control the floods and drought that amount has not been utilised properly.

Floods and droughts have simultaneously affected the State of Rajasthan. Ten or eleven districts in Rajasthan out of 26 districts are affected by severe drought. At the same time floods are playing havoc in some other places causing damage to dams worth crores of rupees and to roads also. This has taken heavy toll of life and property.

About 14,143 villages in Rajasthan are badly affected by drought. In order to provide relief to the drought-affected people, the State Government will requrire Rs. 40 crores which is beyond the capacity of the State Government. Therefore, the Centre should help the State Government.

The survey conducted by the Geological Survey of India has revealed that there are vast resources of underground water in seven or eight eastern districts of Rajasthan. The State Government has prepared a scheme of Rs. 68 crores to tap these sources. So far as my information goes, the Bank of Baroda has agreed to provide necessary loan facilities. But as a result of certain curbs on bank credits, the Bank might not be able to provide the promised loan. The Central Government should take necessary action in this direction so that the State Government can get loans.

Last year 15,000 wells were dug in the state but electricity has not been provided for them.

I request Shri Pant to help the State Government in this matter. The Government should prepare a detail scheme for the wells which have already been digged. Proper supply of electricity should be made to them.

The World Bank is providing Rs. 106 crores for area development under Rajasthan Canal. When the Canal itself has not been completed what is the use of developing that area ? The work of area development is not so important as that of Canal Development. I, therefore, request thast that amount should be diverted for Construction of the canal so that it may be completed expeditiously. Our farmers are very industrious. In case they get proper facilities they can do a lot of production. Recently, a huge amount was spent on crash programme, but we are not benefitted according to our expectation. So a constructive scheme should be prepared in this matter.

At present the work of cutting trees throughout the country is going on at a very high speed. Unless the work of cutting of the trees is stopped there are very little chances of creating an environment for rains.

श्री सुरेन्द्र महन्ती : (केन्द्रपाड़ा) : यह दुःख की बात है कि चार पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी सरकार जनता को बाढ़ तथा सूखे से राहत नहीं दिला सकी है। प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 1955–

71 के दौरान देश को बाढ़ से 2,400 करोड़ रुपये की हानि हुई। केवल 1971 में ही बाढ़ से 631 करोड़ रुपये की हानि हुई। इसके बावजूद भी बाढ़ आने वाले कुल क्षेत्र के एक तिहाई क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिये योजनाएं तैयार की गई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13 राज्यों में लगभग 72 जिलों में लगातार सूखे की स्थिति बनी रहती है। फिर भी सरकार ने लोगों को बाढ़ और सूखे से बचाने के लिये कुछ भी कार्यवाही नहीं की है।

वर्ष 1974–75 में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 34.46 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से निरन्तर बाढ़ की लपेट में आने वाले उड़ीसा राज्य को केवल 70 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं।

ब्राह्मणी के बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिये दो वर्ष पूर्व प्रधान मंत्री ने रेंगली बांध की आधारशिला रखी थी। लेकिन मझे कहते हुए दुःख होता है कि वहां बांध के निर्माण के लिये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी प्रकार भयंकर नदी "बैतरणी" को नियंत्रण करने के लिये भीमकुण्ड परियोजना बनाई गई थी लेकिन इस बारे में अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है।

इस वर्ष उड़ीसा को बाढ़ और सूखे दोनों का ही सामना करना पड़ा है। वहां पहले सूखा पड़ा और बाद में बाढ़ आई। इसके परिणामस्वरूप बालासोर, सम्भलपुर, सुन्दरगढ़, फूलबनी, गंजम और कटक जिलों में अभूतपूर्व सूखा पड़ा है। सरकार के अनसार 864 ग्राम पंचायतों में गम्भीर अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार ने वहां राहत कार्यों के लिये केवल 55 लाख रुपये मंजूर किये हैं। जिनमें से 25 लाख रुपये तकावी पर तथा 7 लाख रुपये निर्मूल राहत कार्यों पर खर्च किये गये हैं। मंत्री महोदय को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि केन्द्रीय निधि से और अधिक राशि दी जाये जिससे इन लोगों को अधिक सहायता प्राप्त हो सके।

छठे वित्त आयोग ने संकटग्रस्त क्षेत्रों को राहत देने हेतु राष्ट्रीय निधि के विचार को अस्वीकार कर दिया है और यह सिफारिश की है कि इसे राज्यों की कुल पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया जाये। यह सिफारिश बहुत खतरनाक है क्योंकि राज्यों के साधन बहुत कम हैं और वे इतनी गम्भीरता से स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकते। सरकार को अन्य सिफारिश पर पुनः विचार करना चाहिये और इन लोगों को पर्याप्त राहत पहुंचानी चाहिये।

डा० हेनरी आस्टिन : (ऐरणाकुलम) : केरल के पूर्व की ओर पश्चिमी घाट हैं और पश्चिम की ओर अरब सागर है। केरल के लोग और कहां की भूमि दोनों ओर से पहाड़ों और समुद्र से घिरी हुए है। वर्षा आने पर वहां बाढ़ आ जाती है और भूमि का कटाव हो जाता है। अणुशक्ति के लिये आवश्यक इलमानाइट मोनाजाइट, और अन्य अलभ्य खनिज समुद्र में बह गये और किसी ने इसकी परवाह नहीं की। डा० राव ने इस ओर ध्यान दिया और इस सम्बन्ध में अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार की योजनाएं बनाने का विचार प्रकट किया। उनका मत है कि यदि इस कार्य पर 40 करोड़ रुपये खर्च किये जायें तो केरल के पूर्ण समुद्री तट को कटाव से बचाया जा सकता है।

सरकार को भूमि की आपत संकट से रक्षा करने के लिये पूरी कार्यवाही करनी चाहिये। आशा है राज्य में इस बारे में आवश्यक राहत कार्यवाही की जायेगी।

देश की भौगोलिक स्थिति और विशालता के कारण प्रति वर्ष हमारे देश के किसी न किसी भाग को सूखा अथवा तूफान का सामना करना पड़ता है। बाढ़ों को रोकने के लिये यथा सम्भव अल्पावधि अथवा दीर्घावधि उपाय किये जाने चाहिये।

यह सच है कि यह एक बड़ी समस्या है जिस पर बहुत अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता हमे प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरुप प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की हानि होती रहेगी।

यदि हम इस पानी को रोककर इस मरुभूमि की ओर मोड़ने के सम्बन्ध में कोई तरीका निकाल पाते हैं तो हम अपनी खाद्य समस्या हल कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि हम तूफानों, बादल फटने और भू-स्खलन को रोक सकें तो हम प्रकृति के प्रकोप से बच सकते हैं। अब आधुनिक प्रौद्योगिकी इतनी अधिक विकसित हो चुकी है कि प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध पर्याप्त एहतियाती उपाय किये जा सकते हैं। आशा है इस समस्या पर सरकार उचित ध्यान देगी।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : In East Champaran District out of 3338.2 kms. area, the area affected by floods is 1,045 kms. About 4.88 lakh people out of a total of 17.2 lakh in the district are in distress because of floods. People in Dhanha area in west Champaran are also affected by floods. Nearly half of flood water in Champaran, Muzaffarpur and Darbhanga came from Masan river. In case a dam is constructed on Masan river it will check floods in that area and the water may be utilised for irrigation purposes. But the Government has not prepared any scheme in this connection.

There are a number of reasons for floods. Firstly, the natural flow of water has been thwarted because the land where water flows has been brought under cultivation. Secondly, the forests in Nepal and my district are being destroyed. So our Government in consultation with Nepal Government should take steps to check destriction of forests. Besides that, the Government has raised the level of certain roads and has built certain canals without providing an outlet for flow of water.

One third people of Champaran area are affected by floods.

Shri Pant should have visited the flood effected areas in Bihar. People would have been greatly relieved by his visit.

Crops have been destroyed there. The Government should have paid attention towards making arrangements of seeds etc. for rabi crop.

South Bihar is in the grip of drought. Tubewells should be installed there.

The Government takes steps to provide relief to the people when there are floods. After the floods are subsided, the Government do not pay adequate attention for preventing recurrence of floods.

The Government should formulate a natural scheme for preventing floods.

Dams should be constructed at the starting point of the rivers. Then it will only possible to check floods. Dam has not been constructed at the starting point on Sikrauna river as a result of it this river causes huge damages. The Governmment should pay proper attention in this matter.

[श्री नवल किशोर पीठासीन हुए]

[Shri Nawal Kishore Sinha in the chair]

A permanent Commission should be appointed to deal with the problems arising out of natural clamities. It should include experts from Flood Division.

Arrangements for tubewells should be made in South Bihar.

There is acute shortage of power in Bihar. More power should be provided to that state.

People of Bihar are in great difficulty. The Government have got the funds but it does not allot to Bihar. The Government should take steps to protect people of Bihar from floods and drought. More foodgrains should be supplied to Bihar. Medical relief should also be provided to the people of that state.

पूर्व रेलवे के यदुग्राम ब्लाक हट और गुरपा स्टेशन के बीच हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. RAILWAY ACCIDENT BETWEEN YADUGRAM BLOCK HUT AND GURPA STATION OF EASTERN RAILWAY

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : महोदय,

खेद है, मझे सदन को एक दुर्घटना की सूचना देनी पड़ रही है जो 23-8-74 को पूर्व रेलवे के ग्रेंडकार्ड सेक्शन पर हुई।

23-8-1974 को लगभग 05-30 बजे जब 1211 अप, पूर्व रेलवे में धनबाद मण्डल के ग्रेन्ड कार्ड सेक्शन पर नाथगंज स्टेशन के अप दूरस्थ सिगनल के पाँस पहुंच रही थी, उसके 10 माल डिब्बे पटरी से उत्तर गये जिससे अप और डाउन दोनों लाइनें अवरुद्ध हो गयीं। डाउन लाइन के सभी अवरोधों को 17-00 बजे दूर कर लिए जाने पर, 9 डाउन दून एक्सप्रस को गुजारने के लिए, सभी सहायता गाड़ियों को जिनमें क्रेन भी शामिल है, डाउन लाईन से हटा लेना पड़ा। गया की दुर्घटना सहायता गाड़ी और 120 टन क्षमदा वाली एक क्रेन समेत एसेम्बली का प्रथम भाग घटनास्थल से, गुरपा स्टेशन के लिए 18-10 बजे रवाना हुआ। लेकिन, एसेम्बली का द्वितीय भाग, जिसमें गोमी की दुर्घटना सहायता गाड़ी और पटरी पर फिर से रखे गये तीन माल-डिब्बें थे, दिलवा नहीं भेजा जा सका क्योंकि दुर्घटना सहायता गाड़ी का इजन खराब हो गया था। तदुपरान्त गझण्डी से एक दूसरा इंजन मंगाया गया। जब इस इंजन को द्वितीय एसेम्बली में लगाया जा रहा था तो खड़ी ढलान के कारण उक्त एसेम्बली गुरपा की ओर खिसकने लगी। यह खिसकती एसेम्बली 19-00 बजे यदुग्राम ब्लाक हट और गुरपा स्टेशन के बीच पहली दुर्घटना सहातया गाड़ी की एसेम्बली से टकरा गयी।

इस टक्कर के फलस्वरूप धनबाद के सहायक सुरक्षा अधिकारी सहित 15 रेल कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी, 7 को चोटें आयीं जिनमें से 2 को गम्भीर चोटें पहुंचीं। सिवाय एक के, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी, मृत व्यक्तियों में से प्रत्येक के निकट संबंधी को 500 रुपये और गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 400 रुपये दिये गये। जिन मृत व्यक्तियों की शिनाख्त हो गयी है, उनके सम्बन्ध में महाप्रबन्धक ने भी 2000 रुपये के विशेष अनुदान की मंजूरी दी है।

रेल संरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा इस दुर्घटना की सांविधिक जांच 27 अगस्त, 1974 को प्रारम्भ किये जाने की संभावना है।

देश में बाढ़ तथा सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा—जारी

DISCUSSION RE-FLOOD AND DROUGHT SITUATICN IN THE COUNTRY—Contd.

Shri Ganda Singh (Padrona) . Deoria District has continuously been affected by Floods and Drought for the last few years. Last year the District suffered a loss of Rs. 1.29 crores and 26 lakh people were affected . A large number of people died. There has been a colossel damage this year also. People are suffering great hardship.

The river Barhi Gandak has brought about lot of devastation in Deoria District. There has been 542 m.m. rains in Deoria and crops have been damaged. About 30 lakh people are in distress the Government should take steps to provide special assistance to the people of Deoria.

Shri Ramautar Shastri (Patna) : It is due to wrong and anti-people policies of the Government that we are still facing the problems of flood and drought. The State of Bihar, particularly North Bihar, in grip of terrible floods this year. 14 out of 15 districts of North Bihar have been affected. Crops in an area of 15,54,000 acres have been affected. This damage is estimated to be Rs. 70.87 crores. About 69.77 people were affected. Property worth Rs. 3.62 crores has also been damaged. There figures are provisional and are expected to rise further when the flood waters recede. The State Government has admitted that 7 persons have died but unofficial sources put the death fall of 30. A number of starvation deaths have also taken place. Inspite of this the Central Government has not provided adequate help to the State. The State Government demanded 35,000 tonne of Food-grains every month but this quantity is not being supplied. Bihar State Council of the Communist Party of India has demanded that 1 lakh tonnes of foodgrains should be provided to the State in coming difficult months and Financial assistance worth Rs. 50 crores should be provided for relief work.

On the other hand Chota Nagpur, Singhbhum, Ranchi, Palamau, and Santhal Pargana Districts are facing drought. Here also situation deaths are taking place.

Patna and Nalanda Districts have received excessive rains and it has done great damage to maize crop there. About 50% of the crop has been damaged. The Government should give necessary help to the people who have been affected by drouhht as well as floods.

Soil erosion has also uprooted lakhs of people. Wherever there have been floods the villages adjoining the revers have been affected due to soil erosions. Affected persons should be helped. The Government has done some relief work but that is not adequate.

A large number of employees of state Government as well as Central Government have been affected by floods. They should given Flood Allowance so that they can look fter their families properly.

Bansagar Project would benefit Madhya Pradesh. We are not jealous of it. But this Project would harm Bihar. The people of Zonepur area would be adeversely affected by it. They are getting water for irrigation but after the project is implemented they may not be getting thai water. Hence they have opposed the agreement in this regard. There has been resentment among the people of Bihar over the agreement. Hence the matter should be reconsidered.

डा० महिपत राय: (कच्छ) : जहां तक गुजरात का संबंध है हमारे सामने बाढ़ और सूखा दोनों समस्याएं हैं। परन्तु इन दोनों समस्याओं का हल नर्मदा नदी ही है। नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर हमेशा बाढ़ आई रहती है और इसके उत्तर की ओर सूखा रहता है, इस नदी पर बांध के लिए नवगांव परियोजना है परन्तु मामला इस समय न्यायाधिकरण के अधीन है।

लोगों को आशंकाएं है कि इस वर्ष उन्हें पर्याप्त राहत नहीं मिल पायेगी उसका कारण यह है कि छठे वित्त आयोग ने अपने प्रतिवदन को यह कहा कि धन राशि का दुरुपयोग हुआ है। यह दुरुपयोग सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है अतः इसका दंड जनता को नहीं मिलना चाहिये। अतः सरकार को गुजरात में तत्काल राहत कार्य प्रारम्भ करने चाहियें। इस दिशा में सब से पहले नर्मदा नहर को पूरा किया जाये।

कच्छ में तीन चार तालुकों में लगातार दुर्भीक्ष की स्थिति चल रही है। 1971–72 और 1972–73 में उस स्थान पर आयोजित ढंग से राहत कार्य किया गया परन्तु इस वर्ष कार्य में कोई आयोजना नहीं है। नौकरशाही द्वारा जनता की परवाह नहीं की जाती। यह दुर्भीक्ष सहिता का मौलिक नियम है कि जिस स्थान पर 5 इंच से कम वर्षा हो वहां पर अभाव की स्थिति घोषित की जाये। अतः सौराष्ट्र, नवनगर, जामनगर, अमरेली, भावनगर, आदि स्थानों पर अब भी अभाव की स्थिति की घोषणा की जाये। राहत कार्य में लगे श्रमिकों को सरकार द्वारा कम से कम 3 रु० मजूरी दी जाती है। परन्तु क्या यह राशि पर्याप्त है? वास्तव में सरकार को इस नकद राशि के स्थान पर उन्हें खाद्यान्न के मूल्य की दर से पैसे देने चाहियें। आज के हालात में इस तीन रु० की राशि को बढ़ा कर 5 रु० किया जाये।

इन क्षेत्रों के लोगों की अवस्था बहुत ही शोचनीय है। वह आज केवल कंकाल मात्र रह गए हैं। पेय जल बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। हरियाली के नाम पर आज कच्छ में एक पेड़ भी नहीं है।

यह अत्यन्त गभीर समस्या है और इसे केवल नौकरशाही द्वारा ही हल नहीं किया जा सकता। केवल लोकप्रिय सरकार ही लोगों की समस्याओं को समझ सकती है। अधिकारियों का रवैया उदासीनता से भरा है। इससे लोगों में धैर्य समाप्त हो गया है। हम देश में हिंसा नहीं चाहते पर स्थिति की इस प्रकार उपेक्षा करके हम देश में हिंसा को पनपने के अवसर पैदा कर रहे हैं। अतः इस स्थिति में सरकार को सूखाग्रस्त लोगों को राहत पहुचाने की ओर ध्यान देना चाहिये? आज गुजरात में राष्ट्रपति शासन है अतः केन्द्र को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए।

श्री निम्बालकर: (कोल्हापुर) : इस समस्या के दो पहलू हैं एक तो बाढ़ एवं सूखा ग्रस्त लोगों को तत्काल राहत देना और दूसरे बाढ़ एवं सूखा ग्रस्त क्षत्रों में इस स्थिति पर नियंत्रण के लिये अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय।

देश के 72 सूखाग्रस्त होने वाले जिलों के विकास के लिए जल की आवश्यकता है। वह जल दो स्रोतों से प्राप्त हो सकता है––भूमिगत जल स्रोत और फिर ऐसे स्थान जहां पर जल की बहुतायत हो। मेरा क्षेत्र इसी प्रकार का है जहां से पर्याप्त जल प्राप्त किया जा सकता है। यदि केन्द्र सरकार द्वारा कोल्हापुर जिले के लिए मंजूर सभी बांध पूरे कर दिये जाएं तो दक्षिण महाराष्ट्र से आगे कर्नाटक का अधिकांश उत्तरी भाग और आन्ध्र प्रदेश का अधिकांश भाग को पंजाब के समान भारत के एक धन्यागार के रुप में परिवर्तित किया जा सकता है। सरकार को यह समझना चाहिये कि पश्चिमी घाट का जल संसाधनों की दृष्टि से हिमालय के पश्चात् स्थान है। इस जल संसाधन के उपयोग के बिना देश की खाद्य समस्या का हल संभव नहीं है। पश्चिमी घाट के विकास के साथ सारे दक्षिणणी घाट का विकास हो सकता है। पश्चिमी घाट के जल को कोंकण की ओर समुद्र में बहने से रोककर सम्पूर्ण दक्षिणी पठार को भारत के धन्यागार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

(अन्तर्बाधाएं)

सरकार के सामने इस बारे में धन की कठिनाई हो सकती है परन्तु उसके लिए मेरा सुझाव है कि लोगों पर उस प्रकार का कर फिर से लगाया जाए जैसा कि बंगला देश से शरणार्थियों के आने के समय लगाया गया था। उस कर को बाढ़कर का नाम दिया जा सकता है यह कर उस समय तक के लिए लगाया जाए जब तक की बाढ़ों पर पूर्ण रूप से नियत्रण न हो जाये।

***श्री एम० के० कुष्णान** (पोणाणि) : *केरल की समस्या केवल बाढ़ की समस्या नहीं है केरल का लगभग 400 किलोमीटर क्षेत्र समुद्र द्वारा कटाव से प्रभावित हो रहा है। इस बार केरल को भू-स्खलन की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण केरल के नकदी फसले देने वाले जिले नष्ट हो गए हैं। इन नकदी फसलों से हमें मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इन जिलों में हजारों मकान नष्ट हुए हैं। लगभग 1,50,000 व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं। केवल मात्र इदिक्की जिले में लगभग 50 व्यक्तियों की मृत्य हुई है। केरल सरकार ने राहत कार्य के लिए 1 लाख रु० की घोषणा की है। यह राशि बहुत ही अपर्याप्त है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार का भी इस बारे में ध्यान आकर्षित किया है।

केरल खाद्यान्न की दृष्टि से कमी वाला राज्य है। अतः इसे केन्द्रीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। बाढ़ के कारण केरल में धान की खेती का एक लाख एकड़ क्षेत्र नष्ट प्रभावित हुआ और फसल नष्ट हो गई है। इससे आने वाले दिनों में लोगों की अवस्था की कल्पना की जा सकती है। केरल के लगभग सभी जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अतः केन्द्र एवं राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये कि किस प्रकार से वहां की समस्याओं को हल किया जाये केन्द्र सरकार ने अर्थोपाय के रूप में एक करोड़ की राशि मंजूर की है। यह राशि बहुत कम है। यदि यह राशि सहायता के रूप में दी जाती तो भी इससे कुछ होता।

यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों की सहायता की जाय, जिनकी नकदी फसलें बाढ़ और भू-स्खलन से बरबाद हो गई है। भूमि कटाव से बचाव सम्बन्धी उपायों को बड़े पैमाने पर शुरु किया जाना चाहिए। इनको शुरु तो किया गया परन्तु पूरा नहीं किया गया। राज्य सरकार इन्हे पूरा करने की स्थिति में नहीं है यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए राज्य की मदद की जाय।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है, यहां 44 नदियां हैं। बरसात के दिनों में बाढ़ के कारण सारे राज्य में संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इन नदियों के जल का समुचित उपयोग किया जाय, तो राज्य की आर्थिक हालत में सुधार हो सकता था। कम्यूनिस्ट सरकार ने 1957 में इन 44 नदियों के जल का राज्य की समृद्धि के लिए उपयोग करने हेतु एक वृहद योजना तैयार की थी और 1958 में यह योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई थी परन्तु इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*मलयालम में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Malayalam.

प्रो० एस० एल० सक्सेना: (महाराजगंज) : 1956 में तत्कालीन योजना और सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री ने बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 15 करोड़ रु० की लागत से राप्ती नदी पर अवरोध जलाशय का निर्माण किया जायेगा। 4.6 करोड़ रु० की लागत से राप्ती की सहायक नदियों पर तेरह छोटे अवरोध जलाशयों का निर्माण किया जायेगा। नेपाल में जलकुण्डी में राप्ती पर बहु-उद्देश्यीय बांध के निर्माण से बाढ़ नियंत्रण के अतिरिक्त 27000 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकेगी और उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की 4.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई भी की जा सकेगी।

मैं यह बात बड़े खेद के साथ कहता हूं कि इस बात को 18 साल बीत गये, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप गोरखपुर और बस्ती जिलों में बार-बार बाढ़ें आ रही हैं। जून के महीने में और 10 जुलाई तक सूखे की स्थिति रही और उसके बाद ऐसी भयंकर बाढ़ आई, जैसी पिछले 100 साल में कभी नहीं आई थी। अनेक गांवों में लोग अपनी सारी सम्पत्ति गँवा बैठे हैं। उनकी सारी फसल बरबाद हो गई है। अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और जानवर भी बाढ़ में बह गये। केन्द्रीय सरकार को तत्काल 100 करोड़ रु० की धनराशि बाढ़ नियंत्रण के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को देनी चाहिए, जिससे बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता की जा सके अन्यथा लोग भुखमरी के शिकार होकर मर जायेंगे। बाढ़ की स्थिति रोकने के लिए बांधों का निर्माण करने के लिए इस जनशक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगले नौ महीने तक कोई भी फसल तैयार होने वाली नहीं है। रबी की फसल अप्रैल में तैयार होगी। इन आठ महीनों के दौरान इन लोगों को काम दिया जाना चाहिए जिससे वे भूखे न मरें। 1000 गांव जलमग्न हो गए हैं, इन गांवों का स्तर ऊंचा किया जाना चाहिए और इन लोगों को काम देकर इनसे बांधों की मरम्मत सड़क निर्माण आदि का काम लिया जाना चाहिए।

बाढ़ राहत कार्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास धन नहीं है। मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से बाढ़ राहत कार्य के लिए 100 करोड़ रु० की सहायता देने के लिए अनुरोध किया है। केन्द्रीय सरकार को तत्काल यह राशि उत्तर प्रदेश सरकार को देनी चाहिए और 1956 में बनाई गई जलकुण्डी योजना पर तत्काल काम प्रारम्भ करना चाहिए।

Shri Chandrika Prasad (Balia) : It is a matter of regret that we have not been able to make arrangements to save the country from natural calamities like floods, land erosion drought, famine etc. If such an arrangement is not made, we would not be able to achieve the target of self-sufficiency in foodgrains. This subject should be in the Central list and not in the State list. State Governments do not have sufficiant funds and technical know how far the purpose. If this subject is taken over by the Government, there would not be inter-state disputes. For example, Buxar-Koyalar dam is being constructed and Balia district is going to be affected very badly. It this subject would have been under the Central Government, there would have been a Co-ordinated project.

The Ministry of Planning has not paid adequate attention towards this problem Amount in the form of Taqabi loans and relief measures is not the permanent solution of this problem. The Government should have taken the serious steps for the insurance of crops, cattle and houses. If there was shortage of funds, the Government could have levied the taxes for this purpose.

Uttar Pradesh is a very big State keeping in view the size and population of the State The Banks, Finance Commission and other Financial Institutions should have made available more funds to the State. The Central Government and Planning Commission have not paid adequate attention towards this State.

Ghaghra is eroding Chakki Chand Dera, Chandpur, Balwa and Maharajganj and Ghagra would change its course and whole of district, specially Doaba area would be submerged. No scheme has been made in this Connection, though several letters have been written to Shri Pant and Flood Commission. Permanent spurs should be constructed to check land erosion by Ghagra. The Flood Commission should enquire into this matter and prepare a plan in consultation with the Flood divisions at Balia and Ganga Flood Commission, Patna. Eighty villages are in the mainstream of river Ganga and after Construction of Buxer-Kcilwar dam. These villages would be sub-merged. No scheme has been formulated by the Flood Commission to protect these villages. According to the information supplied by the Government of U. P. regarding flood-situation, nine districts have been affected by the Flood. 26 lakhs of people in 7,000 villages have been affected. crops in 13 lakh acres of land have been completely damaged. 63,000 residential houses have also been destroyed by the floods.

Due to difficult economic-condition, U.P. Government has not been able to pay salary to the Government employees. I would request the Government to undertake crash Programme, so that the Poor and landless people could earn their livlihood. Water should be made available to Balia by extending Gandak Canal.

Shri Chandu Lal Chandrakar (Durg) :In our Country, there is devastating flood in some areas and in some areas there is serious famine condition. According to an International team, it is impossible to make arrangements for irrigation in 8 0,000 villages out of 5,67,000 villages. There should be three types of corporations for providing irrigation—First, the Minor Irrigation Corporation, Sceondly, the Medium Irrigation Corporation, and thirdly, Major Irrigation Corporation. The Public Financial Institutions should be encouraged to invest more money in irrigation projects. I would suggest that even the black money be allowed to be invested in the irrgation Projects and the persons should be given rebate and concession for this.

There is serious famine condition in the paddy growing areas in Orrisa, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharastra and Gujarat etc. In Chhatishgarh region in Madhya Pradesh, which is the largest paddy growing area in M. P. has been very seriously affected by drought this year. The current rains can not revive more than fifty percent of paddy Crop. The Union Agriculture Minister has asked the M. P. Government to provide 50,000 tonnes of rice in the Central Pool. Whereas M. P. Government has demanded 30,000 tonnes of rice from the Central Pool. The union Agriculture Minister should provide this amount of rice to M. P. The Union Agriculture Minister, Shri Shinde had himself admitted that Chhatishgarh region has the capacity to increase the production of paddy, if necessary facilities are provided. The Agriculture Ministry had also prepared a 100 crore-rupees scheme for the purpose, but it has been reported that the scheme has been abandoned now. In Chhatishgarh region, one million families ate surviving by eating leaves of the trees as well as Kodon. The people there do not have purchasing power, therefore relief measures should be undertaken there. Durg and Bilaspur are very seriously affected by famine condition and 50-60 thousands of people in Bilaspur region have gone out in search of work. Hasdo Bango, a major irrigation scheme should also be implemented immediately. Bodhghat Project which would have required only 37 crores of rupees five years back, will now require 110 crores of rupees. Only this Project can meet almost half the total power requirement of M. P. The Pesticides should also be made available to M. P. for saving the remaining crop from destruction.

श्री डी० के० पण्डा: (भंजनगर) : मैं अपनी जानकारी के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि उड़ीसा में भुखमरी से मौतें होना पहले ही शुरू हो चुकी हैं। उत्तरी उड़ीसा भयंकर रूप से बाढ़ से पीड़ित है और दक्षिणी उड़ीसा में भयंकर सूखे की स्थिति है और स्थिति बड़ी चिन्ताजनक हो गई है। उड़ीसा की मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को स्थिति की जानकारी दे दी है। राज्य को किसी भी किस्म की सहायता देते समय वहां की भयंकर स्थिति को ध्यान में रखा जाय। इस समय 15 जिलों में से 13 जिलों में भयंकर स्थिति है।

आज के 'पेट्रियट' समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार उड़ीसा सरकार ने अपनी खाद्य नीति को बदल दिया है। केन्द्रीय सरकार को इस बारे में हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वसूली का काम प्राइवेट एजेन्सियों को न सौंपा जाय, अन्यथा नौकरशाहों और पुलिस की सहायता लेकर बड़े-बड़े जमींदार कमी की स्थिति का नाजायज फायदा उठायेंगे।

छठे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सरकार डेढ़ करोड़ रु० की धनराशि देगी और डेढ़ करोड़ रु० की राशि राज्य सरकार इस कार्य के लिए उपलब्ध करेगी, परन्तु स्थिति इतनी अधिक भयंकर है कि कम से कम 20 करोड़ रु० इस काम के लिए चाहिए।

रेंगली परियोजना और भीमकुण्ड परियोजना की तरह बहु उद्देश्य सिंचाई परियोजनायें प्रारम्भ की जानी चाहिए और उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। पिछले 17 साल से गंजम जिले में अनेक परियोजनायें प्रारम्भ की गई परन्तु पूरी धनराशि न मिलने की वजह से वे बराबर स्थगित होती रहीं। इन परियोजनाओं के लिए पूरी मात्रा में धनराशि आवंटित की जाय, जिससे गरीब भूमिहीन लोगों को मरने से बचाया जा सके।

***श्री एम० एम० जोजफ** : (पीरमाडे) : देश को बाढ़ और सूखा--इन दो समस्याओं का बराबर सामना करना पड़ा है। विज्ञान द्वारा इतनी अधिक प्रगति कर लेने के बावजूद इन दो आपदाओं पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी है। अनेक राज्य बाढ़ और सूखे दोनों ही संकटों से ग्रस्त हैं। केरल में तो हर साल ही बाढ़ आती है।

केरल में धान के खेत पूरी तरह बरबाद हो गए हैं और पूरी तरह से पानी में डूब गये हैं। जहां तक इडुक्की का सम्बन्ध है, निर्वाचन क्षेत्र का नामोनिशान तक नहीं रहा है। भू-स्खलन और बाढ़ से अनेक व्यक्ति काल के गाल में चले गए हैं। केरल की नकदी फसलों से 125 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है और सारी नकदी फसलें बरबाद हो गई हैं। नकदी फसलों को दुबारा बोने के लिए सहायता की जानी चाहिए। लोगों की सहायता करने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय किये जाने चाहिए। कुट्टानड के 80 प्रतिशत धान के खेत बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। केन्द्रीय सरकार को तत्काल केरल को खाद्यान्न भेजना चाहिए।

1967-68 में केरल का 8000 लाख रु० की कुल राशि में से केवल 9 लाख रुपये मिले और 1971-72 में 21,000 लाख रुपये के कुल आबंटन में से केवल 125 लाख रु० मिले। इससे पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार केरल के साथ सदैव सौतेला व्यवहार करती रही है। मकानों के निर्माण के लिए और नकदी फसलों को फिर से लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार को बड़े पैमाने पर सहायता देनी चाहिए। राज्य का वार्षिक योजना परिव्यय 73 करोड़ रुपये से घटकर 53 करोड़ रु० रह गया है। राज्य सरकार के पास धन की भारी कमी है, इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस बारे में मदद करनी चाहिए।

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 26 अगस्त, 1974/4 भाद्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, August 26, 1974 Bhadra 4, 1896 (Saka).

*मलयालम में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malayalam.

MGIPRRND—30 LSS/74—Sec. VI (NS)—1-11 74—490